# Govt. Holkar Science College, Indore

(An Autonomous Institution and Centre for Excellence)
NAAC Accredited



स्थापना वर्ष - 1891



# विवरणिका, सिटीजन चार्टर एवं आवेदन पत्र Prospectus, Citizen Charter & Application Form सत्र / Session 2011-12

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्हौब से सम्बद्ध Affiliated to Devi Ahilya University, Indore

Website: www.collegeholkar.org

## Govt. Holkar (Autonomous) Science College, Indore (M.P.)

## **Proposed Academic Calender**

### Admission Process for B.Sc.I Semester 2011

Submission of application form: 08 June 2011 to 20 June 2011

Declaration of Admission List - 25 June 2011

Document Verification and other admission formalities - 26 June 2011 to 30 June 2011

Commencement of Academic Session - 01 July 2011

I/III/V Semester 2011	II/IV/VI Semester 2012
1 July 2011 to 31 Oct. 2011	2 Jan. 2012 to 30 April 2012
July 2011	January - 2012
August 2011	February - 2012
August 2011	February - 2012
October 2011	April - 2012
1 Nov. 2011 to 19 Nov. 2011	1 May 2012 to 19 May 2012
20 Nov. 2011 to 25 Nov. 2011	20 May 2012 to 25 May 2012
26 Nov. 2011 to 24 Dec. 2011	26 May 2012 to 25 June 2012
25 Dec. 2011 to 31 Dec. 2011	26 June 2012 to 30 June 2012
	1 July 2011 to 31 Oct. 2011 July 2011 August 2011 August 2011 October 2011 1 Nov. 2011 to 19 Nov. 2011 20 Nov. 2011 to 25 Nov. 2011 26 Nov. 2011 to 24 Dec. 2011

- Calender for Cultural Activities will be available on the Website of Department of Higher Education, Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal (www.mb.gov.in/highereducation)
- 2. The details of Admission for M.Sc. and M.Phil. Courses will be made available later.
- The above calenders is subject to change in accordance with the instructions issued by the Department of Higher Education from time to time.





#### ध्येय

युवा पीढ़ी में आत्म विश्ववास का संचाय, व्यक्तित्व विकास, शीष्ट एवं अनुसंधानात्मक प्रवृत्तियों का विकास, समानता एवं बाष्ट्रप्रेम की भावना प्रस्फृटित कबने हेतू उचित वातावरण प्रदान कबना ।

## सत्र् 2011-12 प्रवेश हेतु आवश्यक निर्देश

महाविद्यालयीन वेबसाईट www.collegeholkar.org पर उपलब्ध है ।

## नागरिक अधिकार - पत्र

### (1) संस्था परिचय

इस महाविद्यालय की स्थापना 10 जून 1891 को इन्दौर रियासत के तत्कालीन महाराजा श्रीमंत शिवाजीराव होलकर द्वारा अपने स्वर्गीय पिता महाराजा तुकोजीराव होलकर की स्मृति में की गयी थी। प्रारंभ में महाविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, फारसी, तर्कशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, गणित और विज्ञान विषय पहाए जाते थे। ऑक्सफोई विश्वविद्यालय के स्नातक और बार-एट-लॉ थ्री ई.सी. चमले इस महाविद्यालय के पहले नियमित प्राचार्य 1891 से 1910 तक बने। उन्हों के समय में यहाँ बी. एस-सी. की कक्षा प्रारंभ हुई। अपने प्रारंभिक वर्गों में यह महाविद्यालय कलकता विश्वविद्यालय से सम्बद्ध का गया। इसके बाद आगरा तथा विक्रम वि.वि. से सम्बद्ध हो जो 1964 से यह महाविद्यालय देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर से सम्बद्ध है।

महाविद्यालय के सभी शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कार्यक्रमों की दिशा, विद्यार्थियों को समाज के त्रव-निर्माण, समाजता के अधिकार एवं गरिसाय व्यक्तित्व की सीख देने की और केन्द्रित होगी ताकि समुचित शिक्षा के आलोक में विद्यार्थी एक सुसंस्कृत, उत्तरदादी, संवेदनशील व्यक्ति तथा देश के श्रेष्ठ नागरिक बन सके।

1926 से 1940 तक का समय महाविद्यालय के विकास का श्रेष्ठ समय था। इस अविध में डॉ. प्रपुद्धचन्द्र बसु महाविद्यालय के प्राचार्य थे। इन वर्षों में अनेक विषयों में स्नातकारत कक्षाएँ तथा स्नातक स्तर पर कई नवे विषय प्रारंभ किये गये। शैक्षणिक, उपलब्धियों के साथ स्माथ खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधियों में अपने गौरवपूर्ण कीर्तिमानों के साथ इस महाविद्यालय ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक विशेष परव्यान बनाई। 1960 तक इस महाविद्यालय ने महाविद्यालय में कला, वाणित्य, विज्ञान और विधि संकायों में

अध्यापन होता था। 1961 में इसे दो स्वतंत्र इकाइवों में विभाजित किया गया। पुराने ही परिसर में कार्यरत, अपनी शैक्षणिक गुणवना को विरासत में लिये, विज्ञान विषयों के अध्यापन और शोध को समर्पित यह संस्था शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय के रूप में विज्ञान-शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक मुधार की दिशा में अनवरत प्रयत्नशील है।

मध्यप्रदेश शासन ने इसे वर्ष 1985-86 में आदर्श महाविद्यालय का दर्जा दिया। सन 1989 से यह स्वशासी महाविद्यालय के रूप में कार्यर्त है। अगस्त 2001 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ग्रष्टीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानन परिषद (NAAC) ने इस महाविद्यालय को तीन सितारा दर्जा दिया या 'यह गीरव प्राप्त करने वाला प्रदेश का यह पहला महाविद्यालय रहा । यर्ष 2009 में NAAC ने इस महाविद्यालय का पुर्नमूल्यांकन कर आगामी पाँच वर्षों के लिए इसे 'वी' ग्रेड प्रदान किया है। इसी प्रकार यूजीसी टीम ने 2009 में इस महाविद्यालय को आगामी पांच वर्षों के लिए स्वशासी महाविद्यालय को पुन: प्रदान किया है। शिक्षा-सन्न 2001-2002 से राज्य शासन ने इस महाविद्यालय को उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में चिन्हित किया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना के अंतर्गत स्नातक स्तर पर रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम 'औद्योगिक मत्स्य एवं माल्स्यिकी' तथा 'बीज तकनीकी' विषय 1994 से प्रारंभ किये गये हैं।

स्वशासी योजना के अन्तर्गत उच्च तकनीकी तथा स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के रूप में कम्प्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिकी, सुरुम जैविकी, औषध समायन और वायोटेकांलांजी विषय पहाए जा रहे हैं। शिक्षा सत्र 2003-04 से स्नातक कक्षाओं में जीव रसायन, वायुंक्मॉटिक्स पाट्यक्रम आरंभ किये गये हैं। इसी योजना के अंतर्गत सत्र 2007-08 में कम्प्यूटर विज्ञान, वायोटेकालांजी तथा मुक्स जैविकी (Micro Biology) में



स्नातकोत्तर (M.Sc.) कक्षायें प्रारम्भ की गई। शिक्षा सत्र 2003-04 से प्राणीशास्त्र विषय में M.Phil पाट्यक्रम प्रारंभ किया गया है।

महाविद्यालय को विरासत में एक लम्बी एवं समृद्ध शोध परम्परा मिली है। प्रारम्भिक वर्षों में प्रो. आठवले, प्रो. शंकर गोखले, प्रो. शैलेन्द्रवाध घर आदि ने अपने मीलिक एवं गविषणात्मक कार्यों से इस महाविद्यालय के लिये गौरव अर्जित किया। रसावनशास्त्र में डॉ. एस.एस. देशपांडे और उनके सुयोग्य शिष्य डॉ. विक्रल भागवत, प्राणिशास्त्र में डॉ. रि. एस.एस. इंग्रांडे और उनके सुयोग्य शिष्य डॉ. कि. एस. एस. त्रांडे एस.एस. श्रीवास्तव के शोध कार्यों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्त्रोकार किया किया। भौतिकी, रसावन, गणित, वानस्पतिकी, प्राणिकी, भौमिकी, जीवस्सायन एवं वायोटेक्नोलॉजी विषयों में भी महत्वपूर्ण शोध कार्य किये जा रहे हैं। वर्तमान में यह महाविद्यालय एक प्रमुख शोध केन्द्र के रूप में बाना जाता है। अनेक दुर्लभ प्रन्थों एवं शोध पत्रिकाओं से समृद्ध पुस्तकालय तथा अपने विषय को समर्पित विद्वान एवं निष्णात प्राध्यापकों के कारण इस महाविद्यालय की गणना देश के प्रमुख शिक्षा केन्द्रों में होती है।

महाविद्यालय का पुस्तकालय प्रदेश के महाविद्यालयीन पुस्तकालयों में सर्वश्रेष्ठ है। वर्ष 2007 से महाविद्यालय की स्वतंत्र संस्थान Research Promoting and Communication Society द्वारा शोध पत्रिका Indian Research Communication (I.S.S.N. 0973-9661) का प्रकाशन किया जा रहा है जिसके सम्मादकीय परामर्श मण्डल में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति ग्राम विद्वास सम्मितिल हैं।

महाविद्यालय द्वारा विभिन्न विषयों में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किये जाते रहे हैं।

महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं एवं शैक्षणिक गुणवता का आकलन मात्र इस तथ्य से किया जा सकता है कि देश को प्रख्यात शिक्षण संस्थान Symblosis द्वारा अपने विद्यार्थियों के Project कार्य हेतु इस महाविद्यालय को चिन्हित किया गया है।

## (2) उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाएँ

- 1. बी.एस-सी. त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम -
  - (अ) उच्च तकनीकी तथा स्ववित्तीय पाठ्यक्रम -कम्प्यूटर्स, इलेक्ट्रानिक्स, सांख्यिकी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमेस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोईफार्मेटिक्स तथा बायोकेसेस्ट्री।

- (व) परंपरागत पाद्धक्रम गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणिकी, वानस्पतिकी तथा भौमिकी।
- (स) रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम- औद्योगिक मत्स्य एवं मालियकी तथा बीज तकतीकी।
- . एम.एस-सी. डिवर्षीय पाठ्यक्रम (चार सेमेस्टर में पूर्ण) -

जीव रसायन, वानस्पतिकी, रसायन शास्त्र, भौमिकी, गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, प्राणिकी, बायोटेक्नोलॉजी, कम्प्यूटर साईन्स एवं माइक्रोबायोलॉजी एवं फामो रसायन में उपलब्ध हैं।

#### . शोध सविधा-

यह महाविद्यालय देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर द्वारा विज्ञान संकाय के सभी प्रमुख विषयों में शोध संस्थान के रूप में मान्य है। शोध छात्रों को पात्रता होने पर नियमानुसार प्रवेश दिया जाता है।

- महाविद्यालय में धर्म एवं विज्ञान विषय में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किया गया है।
- M.Phil. में एक वर्षीय पाठ्यक्रम (दो सेमेस्टर में पूर्ण) -प्राणीशास्त्र, रसायन शास्त्र में उपलब्ध है।
- नये संभावित विषय (शासन एवं विश्व विद्यालय की ओर से स्वीकृति हेतु भेजे गए हैं)।
  - अ) प्रस्तावित M.Phil वनस्पिति शास्त्र, कम्प्यूटर, जैविक रसायन, बायो टेक्नोलॉजी, गणित । जिसमे प्रवेश परीक्षा के उपरान्त दिये जाँएँ।
  - व) P.G. डिप्लोमा जीओ एंफरमेटिक्स में प्रस्तावित है।
  - स) खेल विभाग द्वारा योग का प्रमाण पत्र कोर्स खोला जाना प्रस्तावित है।
  - a) M.Sc. फोरेन्सिक साइन्स में एवं M.F.Sc. फिशरीज में प्रस्तावित है।

## (3) प्रवेश हेत् पात्रता

विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु पात्रता एवं सुविधाएँ निम्नानुसार हैं-

बी.एस-सी. (प्रथम सेमेस्टर)- माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश अथवा केन्द्रीय विद्यालय की बारतवी अथवा उसके समकक्ष



अन्य परीक्षाएँ उत्तीर्ण छात्र/छात्राएँ प्रवेश के पात्र होंगे। न्यूनतम 55 % अंक अनिवार्य (महाविद्यालय उत्कष्टता का केन्द्र )है।

बी.एस-सी. (तृतीय तथा पंचम सेमेस्टर)- इस महाविद्यालय की बी.एस-सी. द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राएँ तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में प्रवेश के पात्र होंगे।

एम.एस-सी. (प्रथम सेमेस्टर)- मध्यप्रदेश के मान्य विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण सम्बन्धित विषय के म्नातक को गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। स्थान रिक्त होने पर प्रदेश के बाहर के विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रवेश दिवा बारोगा।

एम.एस-सी. तृतीय सेमेस्टर - इस महाविद्यालय के द्वितीय सेमेस्टर उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश के लिये पात्र होंगे।

### (4) उपलब्ध स्थान

रनातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में उपलब्ध स्थान निम्नानुसार है-

भौतिकी = 20 रसायन शास्त्र 30 + 10 = 40 वासम्प्रतिकी = 20 प्राणिकी 15+5 =20 गणित 40 + 10 = 50 भौमिकी 15+5 = 20 15+10 = 25 सांख्यिकी जीव रसायन 15 + 10 = 25= 30 जैव तकनीक कम्प्युटर = 15 सक्ष्म जैविकी = 20 एम.फिल, -प्राणीशास्त्र = 10 फार्मा उम्मयन = 20 एम.फिल. रसायन शास्त्र = 15

एम.फिल./पी.जी. डिप्लोमा में (प्रस्तावित पाठ्यक्रम) में उपलब्ध मीटें-

बनस्पति शास्त्र = 10 कम्प्यूट्र = 30 वैव स्सायन = 12 वायोटेक = 10 जीयोडंफरमेटिक्स = 20 गणित = 10

एम. एस-सी. में वैशिष्ट्य (Specialization) की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इस हेतु विद्यार्थी सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क करें।

बी.एस-सी. प्रथम सेमेस्टर हेतु गणित एवं जीव विज्ञान समूह में 60 प्रति सेक्शन छात्र संख्या प्रस्तावित है। बी.एस-सी. 6 सेमेस्टर हेतु आधार पाद्यक्रम के अतिरिक्त निम्नानुसार विषय समूह उपलब्ध है। प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को इनमें से चुनने का विकल्प रहेगा।

### गणित समूह:

- 1. कम्प्यूटर, भौतिकी, गणित
- कम्प्यूटर (स्ववित्त), भौतिकी, गणित
- इलेक्टॉनिक्स, कम्प्यूटर ,गणित
- 4. इलेक्ट्रानिक्स, भौतिकी, गणित
- 5. सांख्यिकी, कम्प्यूटर, गणित
- सांख्यिकी, भीतिकी, गणित
- भीतिकी, गणित, रसायन शास्त्र
- भूगर्भ शास्त्र, कम्प्यूटर, गणित

## जैविकी समूह:

- बाबोटेक्नालॉर्जी / कम्प्यूटर/रसायन शास्त्र
- 2. बायोदेक्नालॉजी / रसायन शास्त्र/प्राणिकी
- 3. बायोटेक्नालॉजी / रसायन शास्त्र / वनस्पति शास्त्र
- बायोइन्फारमेटिक्स / कम्प्यूटर/प्राणिकी
- 5. जीवरसायन /रसायन शास्त्र/प्राणिकी
- माईक्रोबायलॉजी / रसायन शास्त्र /प्राणीशास्त्र
- 7. फार्मा. रसायन / रसायन शास्त्र / वनस्पति शास्त्र
- फार्मा, रसायन / रसायन शास्त्र /प्राणी शास्त्र
- 9. रसायन शास्त्र/वनस्पति शास्त्र/प्राणिकी
- 10. फिशरीज / रसायन शास्त्र/प्राणिकी
- 11. सीड टेक्नालॉंबी / प्राणी शास्त्र/वनस्पति शास्त्र
- 12. भूगर्भ शास्त्र /रसायन शास्त्र/प्राणिकी

नोट I : उच्चशिक्षा विभाग म.प्र. शासन के नियमानुसार ची.एस.सी. प्रथम वर्ष व द्वितीय सेमेस्टर में उद्यमिता विकास, तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर में पर्यावरण अध्ययन तथा पंचम व षष्टम सेम. में बेसिक कम्प्यूटर एम्फार्मेशन टेक्नॉलाजी आधार पाठयक्रम के अनिवार्य अंग है।

2 : सीड टेक्नालॉजी/हार्टिकल्चर/वनस्पति शास्त्र समूह में बी.एस-सी. प्रथम वर्ष में प्रवेश शासन से अनुमोदन उपरोन्त दिये जायेंगे।



- नोट- (1) बी.एस-सी. तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में उन्हीं विषयों में प्रवेश दिया जाता है, जिन्हें विद्यार्थी ने अहंकारी परीक्षा में लिया था।
  - (2) उपरोक्त प्रदर्शित विषय समूह प्रथम सेमे. हेतु हैं । हिन्दी/अंगेजी भाषा का पाठ्यक्रम अनिवार्य है ।
  - (3) भौमिकी पंचम/पष्टम सेमेस्टर हेतु स्वयं के व्यय से अध्ययन यात्रा अनिवार्ष है। शासन के नियमानुसार महाविद्यालय भी कुछ सहायता दे सकता है।
  - (4) किसी विषय समूह में पर्याप्त छात्र संख्या उपलब्ध न होने पर वह विषय समृह निरस्त किया जा सकता है।
  - (5) 10 + 2 कृषि के विद्यार्थी जीव विज्ञान समूह (बीज तकनीक, मत्स्य एवं औद्योगिक मात्स्यिकी) में ही प्रवेश ले सकते हैं।

### (5) प्रवेश के नियम

#### 5.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना

महाविद्यालय में प्रवेश के लिय निर्धारित आवेदन-पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित 21 जून से दिनांक 25 जून तक बमा किये जायेंगे। बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा अंक सुची प्रदान न किये जायेंगे। बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा अंक सुची प्रदान न किये की स्थित में पूर्व संस्था के संबंधिय प्राचार्य द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीणं प्रमाणित किये जाने पर विना अंक सूची के आवेदन-पत्र जमा किये जाए। बोर्ड विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों की घोषणा नहीं होने पर प्रावधिक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर आवेदन-पत्र जमा किए जाए। इंटरनेट से डाउन लोड की गई अंकस्तूची भी मान्य होगी। मुक्त विद्यालय/विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भी परीक्षा परिणाम घोषित न होने पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर प्रावधिक प्रवेश होने की पात्रता होगी।

### 5.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना

स्थानान्तरण प्रकरणों को छोड़कर 26 जून तक प्राचार्थ स्वयं तथा 30 जून तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति से प्राचार्थ प्रवेश देने में सक्षम होंगें। निर्धारित तिथि तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त हो जायेगा। जायेगा एवं अनुतीर्ण विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त हो जायेगा। कर्मचारियों के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को आवेदित कक्षा में स्थान रिक्त होने पर सात्र के तीरान प्रवेश दिवा जाये। इस हेतु कर्मचारी द्वारा कार्यभार प्रवष्टण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करान्य होगा एवं आवेदक का प्रवेश निर्धारित ऑतम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने पर ही दिवा जायेगा। कर्मचारी के स्थानांतरण के पश्चात् निर्धारित मुख्यालय के किसी भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त न होने पर कुलपति की अनुमति से कर्मचारी के परिवार के विद्यार्थी को प्रवेश दिया जा सकता है।

#### 5.3 स्नातक स्तर पर नियमित प्रवेश

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी 10+2 का तात्पर्य म0प्र0 माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित या संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के विद्यालयों की इंटरमीडियट बोर्ड की समकक्ष परीक्षा से हैं। इन आवेदकों को महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र लेकर आवेदन के साथ लगाना आवश्यक होगा।
- (ख) 10+2 कृषि से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को . प्रथम सेमेस्टर में केवल जीव विज्ञान समूह में प्रवेश दिया जा सकता है।
- अईकारी परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता होगी। अनुसूचित जाति एवं अनु, जनजाति के विद्यार्थियों को नियमानुसार अंकों में छुट की पात्रता होगी।

#### 5.4 स्नातकोत्तर स्तर पर नियमित प्रवेश

#### कक्षा अहंकारी परीक्षा -

- (क) संबंधित विषय के साथ बी.एससी. उपाधि
- मातकोत्तर प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में उत्तीर्ण/कुल दो प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टीप्राप्त विद्यार्थियों को उसी विषय के तृतीय सेमेस्टर में स्थान रिक्त होने पर प्रवेश की पात्रता होगी।
- (घ) अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता होगी।

### 5.5 स्नातक प्रथम सेमेस्टर में पुरक छात्रों को प्रवेश

स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिये हायर सेकेण्डरी (सेन्ट्रल बोर्ड-माध्यमिक शिक्षा मण्डल,भोपाल) की परीक्षाओं में जिन विद्यार्थियों को पूरक की पात्रता आई थी तथा पूरक परीक्षा में उनके उत्तीर्ण होने पर विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु पूरक परीक्षा



परिणाम घोषित होने के दिनांक से 15 दिनों तक महाविद्यालय में नियमित प्रवेश, स्थान रिक्त होने तथा गुणानुक्रम में आने पर प्राचार्य द्वारा दिवा जा सकेगा। किन्तु इन विद्यार्थियों को सेमेस्टर के प्रारंभ में अपने दाक्तिल पर प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

### (6) प्रवेश संख्या का निर्धारण

प्रत्येक सेक्शन में 60 स्थान निर्धारित है । शासन के नियमानुसार सीटों में आरक्षण रहेगा।

## (7) प्रवेश सूची

प्राचार्य द्वारा, प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहाँ अधिभार देव है, वहाँ अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची प्राप्त प्रतिशत अंक सहित, सचना पटल पर 26 जन 2010 को लगाई जायेगी तथा इसकी प्रति को महाविद्यालय की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जावेगा। निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये। घोषित प्रवेश सुची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलंब शुल्क रूपये 100/- जनभागीदारी मद में अतिरिक्त रूप से लेकर प्रवेश दिया जा सकेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जन के पश्चातु प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि अंतिम तिथि तक शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो प्रवेश निरस्त माना जाएगा।

### (8) प्रवेश की पात्रता

- 8.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा
- (क) म.प्र. के मूल/स्थायी, म.प्र. में स्थायी संपत्तिधारी निवासी, राज्य या केन्द्र सत्कार के शासकीय कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन म.प्र. में हो, उनके पुत्र पुत्रियों एवं जम्मू कस्पीर के विस्थापितों/विद्यार्थियों तथा उनके आश्रितों/भूटान के विद्यापियों को महाविद्यालयों में प्रवेश

दिया जावेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य स्थानों के बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

- (ख) संबंधित विश्वविद्यालय से वा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की अर्हकारी परीक्षा उत्लोण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) कश्मीर के विस्थापितों के लिये निम्न प्रावधान लागू होंगे -
  - 1. प्रवेश की अंतिम तिथि में 30 दिन की छूटा
  - न्यूनतम प्रवेश प्राप्तांकों में 10 प्रतिशत की कूट, इस बात का ध्यान रखते हुए कि पात्रता की अन्य शर्तेपूरी होती हों।
  - 3. मूल निवासी अनिवार्यता से पूर्ण छुटा
  - द्वितीय और आने वाले वर्षोमें आवर्जन की सुविधा।

### (9) समकक्ष परीक्षा

- 9.1 सेन्द्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षार्थे म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है । प्राचार्य मान्य बोर्डोंकी सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
- 9.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) के सरस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षायें म.प्र. के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समस्क्ष मान्य है।
- 9.3 संबंधित विश्वविद्यालय व्यारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुवान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अधवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं विनकी परीक्षा/अपधि मान्य नहीं है की जानकारी प्राचार संबंधित विश्वविद्यालय से प्राप्त करेंगे।
- 9.4 माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा व्यावसायिक पाट्यक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते विषय यथा लेबोरेट्री मेडिसिन मैनेबमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस, क्लिनिकल बाँयोकेमेस्ट्री, माइक्रोबाँचलाजी एण्ड मैनेबमेंट सिस्टम तथा कम्प्यूटर से संबंधितविषय और प्रिंटिंग आफ डाटा-प्रोसेसिंग मैनेबमेंट एण्ड सिस्टम एनालिसिस, टी. डी.पी.पैकेज प्रोग्नामिंग, वर्क शाप प्रैक्टिस आदि सम्मिलत हैं। उपरोक्त विषयों के साथ माण्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा उपरोक्त विषयों के साथ माण्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा



संचालित व्यावसायिक पाट्यक्रम 10+2 के उत्तीर्ण छात्रों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरांत संबंधित संकाय में प्रवेश दिया जायेगा। ऐसे आवेदकों को प्रवेश आवेदन के साथ विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता/अर्हता प्रमाण-पत्र लगाना अनिवार्य होगा। किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता संबंधी निर्धारण में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण-पत्र को अंतिम माना जायेगा।

 मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड की उत्तर मध्यमा परीक्षा को हाथर सेकेण्डरी परीक्षा के समकक्ष माना जायेगा।

### (10) बाहय आवेदकों का प्रवेश

- 10.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./ बी.काम./ बी.एससी./ बी.एससी. (गृह विज्ञान) में एकीकृत पाट्रवक्रम लागू होने से म.प्र. के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वरासी महाविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता है किंतु सम्बंधित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पहाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दो हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् हों नियमित पुबेश दिया जावे। विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 10.2 म.प. के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों/स्वशासी
  महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा
  म.प्र. के अन्य विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से
  स्नातकोत्तर की प्रथम परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर
  परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा
  उत्तीर्ण आवेदकी को उनके व्वारा सम्बंधित विश्वविद्यालयों
  से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं
  विषय/विषयों/विषय समृह की अगली कक्षा में नियमित
  प्रवेश दिया जावे।

#### (11) प्रावधिक प्रवेश की पात्रता

प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्थ होगा। स्नातक में प्रथम/दितीय/तृतीय/ चतुर्थ तक कुल दो विषयों में ए.टी.के.टी. प्राप्त आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में दो प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. (Allowed to keep term) प्राप्त आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

#### ए.टी.के.टी. से संबंधित प्रवेश नियम

- स्नातक पाउ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष की होगी इसमें कुल 6 सेमेस्टर होंगे। प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 2 सेमेस्टर होंगे। स्नातक स्तर का पाउ्यक्रम अधिकतम 5 वर्ष में पूर्ण करना है। प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में सभी विषय की प्रायोगिक (बहाँ लागू है) एवं सैद्धांतिक परीक्षा होगी। दो विषय में अनुत्तीणें/अनुपस्थित रहने पर विद्यार्थों को ए.टॉ.के.टॉ. (Allowed to keep term) की पात्रता होंगी अर्थात् विद्यार्थों को अगले सेमेस्टर में स्वतः प्रवेश मिल जायेगा।
- स्नातक पंचम सेमेस्टर में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा जिनका प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर (प्रथम वर्ष) पूर्णतया उत्तीर्थ हो । अन्य अनुत्तीर्थ विद्यार्थी पूर्व छात्र के रूप में प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होंगे।
- 3. (अ) उपर्युक्त कंडिका (4) के अनुसार जिन विद्यार्थियों को पूर्व छात्र की श्रेणी में रखा गया था वे आगामी सेमेस्टर की मुख्य परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे। उत्तीर्ण होने की स्थिति में उन्हें जुलाई माह से प्रारंभ होने वाले सब में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।

### (12) प्रवेश हेत् पात्रता/अपात्रता

- 12.1 जिन आवेदकों के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चालान प्रस्तुत किया गया हो/ न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परिक्षा में या पूर्व सत्र में विद्यार्थियों/ अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ बुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर प्रमाणित आरोप हों/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो तो ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिये प्राचार्थ अधिकृत नहीं है।
- 12.2 महाविद्यालय में तोड़ फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने के प्रमाणित दोषी /रिगिंग के प्रमाणित आरोपी विद्यार्थियों को प्राचार्य प्रवेश देने के लिये अधिकृत नहीं है। रिगिंग के संदर्भ में यू.जी.सी. के ज्ञाप क्र. एफ-1-16/2007 (सी पी पी॥) अप्रेल 2009 के मार्गदर्शी निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
- 12.3 (क) स्नातक स्तर प्रथम सेमेस्टर में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पावता नहीं होंगी। आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की



- जायेगी। अंतिम प्रवेश सूची जारी होते समय स्थान रिक्त होने पर उम्र का बंधन शिथिल कर प्रवेश दिया जा सकेगा।
- (ख) आषु सीमा का यह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय कार्यालय तथा उनके व्यारा नियंत्रित संस्थाओं व्यारा प्राथोजित व अनुसांसित प्रत्याशियों, भारत सरकार व्यारा प्राथोजित अथवा किसी बिदेशी सरकार व्यारा अनुशंसित विदेशों से अध्ययन हेतु भेने गये विद्यार्थियों अथवा बिदेश से अध्ययन के लिये विदेशी सुत्रा में घेमेंट सीट पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगा।
- (ग) योग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयु सीमा का बंधन नही होगा।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की क्ट प्रवान की जायेगी।
- (इ.) विकलांग, सामान्य निःशक्तजन वर्ग के आवेदकों को स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष एवं स्नातकीत्तर कक्षाओं में 35 वर्ष होगी तथा इन आवेदकों को प्राप्तांकों पर 5 प्रतिशत अधिभार प्रदान किया जायेगा।
- (च) प्राच्य पद्धित के संस्कृत महाविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले पाद्ध्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 2.5 वर्ष एवं स्नातकोत्तर में तीस वर्ष होगी।
- 12.4 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अविध में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अविध के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। दैनिक कर्तव्य अविध के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापलित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिवा वावेगा। किसी संकाय भे स्नातक उपरांध प्राप्त विद्यार्थियों को, (विधि संकाय) को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठयक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

## (13) प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण

13.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा । स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अहंकारी परीक्षा से प्राप्ताक एवं अधिभार देय है तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत

- अंको के आधार पर गुणानुक्रम निर्धारित किया जाएगा।
- 13.2 सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जाएगी।
- 13.3 प्राच्च पदिति के संस्कृत महाविद्यालयों में शाला स्तर के अध्यापन का कार्य होने के कारण जिस बोर्ड से उनके पादयक्रमों को संबद्धता प्राप्त हो उसी बोर्ड के प्रवेश नियमों को मान्य किया जाएगा।

## (14) प्रवेश हेतु प्राथमिकता

किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश, महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

## (15)आरक्षण मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा

- 15.1 अनुस्चित जाति (अ.ज.,) एवं अनुस्चित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशा 16 तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगें। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनशील होंगे।
- 15.2 पिछडे वर्ग के (क्रीमीलेयर छोड़कर) आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।
- 15.3 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों, पीत्र और पीत्रियों /भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से अपंग हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों, भृतपूर्व तथा वर्तमान में कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों को तथा विकलांग श्रेणों के आवेदकों के लिए संबुक्त रूप से 03 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखें आयेंगे। इससे संबंद विकलांग आवेदकों को प्राप्ता आवेदकों को प्राप्ता के ते 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गोंका, सम्मिलित गुणानुक्रम निर्भारत किया वाएगा, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों में से ही उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सेना के उक्त प्रकार के सेना कर्मियों/अधिकारियों के लिए प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा -
- युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित।
- युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित।
- शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आधित।
- शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से अपंग तथा उनके आश्रित।
- निम्नलिखित शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के



आश्रित, परमधीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मैडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मैडल, सेना, नीसेना,वायु सेना मेडलपत्रों में उद्येख।

- भृतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
- कार्यरत सैनिकों के आश्रित।
- 15.4 निःशक्तजन श्रेणों के आवेदक के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जार्चेंगे परन्तु वह आरक्षण उनके संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान में ही उपलब्ध कराया जावेगा। निःशक्तजनों के प्रवेश के समय अहतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की खुट दो जायेगी।
- 15.5 सभी वर्गोमें उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होगें।
- 15.6 उच्च शिक्षा विभाग,मध्यप्रदेश शासन तथा उसके अधीनस्य कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यों, प्राध्यापकों, ग्रंथपालों,क्रीडा अधिकारियों, रिक्ट्रारों एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणों के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों के लिए सभी सम्बन्धित संवामें उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिवात स्थान आरितत रखे आर्थिंगे।
- 15.7 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्थर्धों में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेगी, परन्तु विद ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे-स्वतंत्रता संग्राम मेनी आदि का भी है तो संवर्ग की सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, संवर्ग की श्रेण सीटें भरी जावेगी।
- 15.8 अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पाद्यक्रमों में जहाँ प्रवेश किसी प्रवेश-मरीक्षा के माध्यम से दिया जाता है, आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं होगा, किन्तु प्रवेश प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 15.9 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
- 15.10 प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक आरक्षित स्थानों के लिये

पर्याप्त विद्यार्थी उपलब्ध न होने पर आरक्षित स्थान अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिये उपलब्ध रहेंगे।

 15.11समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाए।

### (16) अधिभार

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा। पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देव होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के परचात लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार का लाभ देव होगा।

- 16.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउटस (स्काउटस शब्द को स्काउट/गाईडस/रेन्जर्स के अर्थ में पढा जावे):
  - (क) एन.सी.सी./एन.एस.एस.'ए' सर्टीफिकेट 02 प्रतिशत
  - (ख) एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'बी' सटीफिकेट या द्वितीय सोपान उलीर्ण स्काउटस 03 प्रतिशत
  - (ग) 'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट 04 प्रतिशत
  - (घ) राज्य स्तरीय (संचालनालवीन) एन.सी.सी. प्रतियोगिता 04प्रतिशत
  - (च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में म0प्र0 के एन.सी.सी. कन्टिनजेन्ट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को 05 प्रतिशत
  - (छ) राज्यपाल स्काउट ०५ प्रतिशत
  - (ज) राष्ट्रपति स्काउट 10 प्रतिशत
  - (झ) म.प्र. का सर्वश्रेष्ट एन.सी.सी. केडेट 10 प्रतिशत
  - (य) डयूक आफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट 15 प्रतिशत
  - भारत व अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्चेंज प्रोग्राम 15 प्रतिशत
  - (ल) एन.सी.सी./एन.एस.एस. के तहत चयनित एवं प्रयास करने वाले केडिट को अन्तर्राष्ट्रीय जम्मुरी के लिये चयनित करने वाले विद्यार्थियों को 10प्रतिशत
  - (व) भारतीय रेडक्रास सोसायटी द्वारा प्रमाणित उत्कृष्ट गतिविधियों के लिये (प्रस्तावित) 02 प्रतिशित



- (श) जुडो/कराटे ल्मससव् 02 प्रतिशत ठतवृद 03 प्रतिशत ठसेवा 04 प्रतिशत
- 16.2 आनर्स विषय पाठयक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नाकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर। 10 प्रतिशत
- 16.3 खेलकूद /साहित्यिक/सांस्कृतिक /किज/रूपांकन प्रतियोगिताएं-
- लोकशिक्षण संचालनालय अथवा म0प्र0 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला संभाग स्तर पर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में -
  - (क) प्रथम,द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को- 02 प्रतिशत
  - (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को- 04 प्रतिशत
- (2) उपर्युक्त कंडिका 13.4(1) में उद्घेखित विभाग/ संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग/राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा सारतीय अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित हेत्रीय प्रतियोगिता में:
  - (क) प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को- 06 प्रतिशत
  - (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को- 07 प्रतिशत
  - (ग) संभाग क्षेत्र का प्रतिनिधत्व करने वाले प्रतियोगी को-05 प्रतिशत
- (3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में:-
  - (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम,द्वितीय,वृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को - 15 प्रतिशत
  - (ख) टीम प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को -12 प्रतिशत
  - (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत

- 16.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चर एक्सचेंब प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रयास करने वाले दल के सदस्यों को- 10 प्रतिगत
- 16.5 मध्यप्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में -
  - (क) म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को- 10 प्रतिगत
  - (ख) प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली म0प्र0 की टीम के सदस्यों की- 12 प्रतिशत
  - (ग) बशर्तेकि म.प्र. शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र संबंधित जिले के खेल अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना अनिवार्य होगा।
- 16.6 जम्म-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को-01%।
- 16.7 विशेष प्रोत्साहन एन. सी. सी. के राष्ट्रीय स्तर के सवेश्रेष्ठ केडेटस तथा ओलम्पिक एशियाड /स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया एस. जी. एक. आई. द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतिवोगिता में भाग लेने चाले विद्यार्थियों को बगैर गुणातुक्रम के आगामी शिखा सब में उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जावे जिनकी उन्हें पावता है: वागों कि.
- इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण मध्यप्रदेश द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो एवं
- (2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि क अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय को प्रस्तुत किया है, पपन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुन- प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 16.8 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जावेगें। स्नातक दितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु तब के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होगें।
- 16.9 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं जिनमें राज्य सरकार सह प्रायोजक होती है वहाँ प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को अधिभार का प्रतिशत कण्डिका 13.4 के अनुरूप होगा।

### (17) संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन



- (क) स्नातक/ स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में अहँकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहते वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्ताकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा। अधिभार घटे हुए, प्राप्तांको घट वेस होगा।
- (ख) महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/पूप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्यद्वारा 15 जुलाई तक दी जावेगी।

### (18) विशेष

- 18.1 जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर/गलत जानकारी देकर, जानबुझकर छिपाये गये प्रतिकूल लख्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीयश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य की होगा।
- 18.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण पूर्व अनुमित या सूचना के बिना, लगातार पंद्रह दिवस तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को क्रोगा।
- 18.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरण में लिप्त विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य का होगा।
- 18.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को अवधान राशि (कॉशन मगी) के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 18.5 तकनीकी/व्यवसायिक पाइयक्रम में प्रवेश हो जाने पर विद्यार्थी को मात्र 100/- प्रक्रिया काटकर जमा की गई सम्पूर्ण शुक्त की राशि वापिस की जाएगी। प्रावधिक प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी अनुर्त्तीर्ण घोषित होने पर रूपये 100/- प्रक्रिया शुक्त काटकर शेष राशि वापिस कर दी जाएगी।

(प्रवेश नियम आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 566/अका. प्र./आउशि/010 भोपाल दि. 24/5/2010 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित किये गये हैं । उक्त पत्र उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाईंट www.mp.gov.in/highereducation पर उपलब्ध हैं।)

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग एवं महाविद्यालय प्रशासन से यदि प्रवेश सम्बन्धी नियमों में संशोधन अथवा नए नियम प्राप्त होते हैं तो उपरोक्त नियमों के स्थान पर नए वियम तत्काल प्रभावशील होंगे।

### (19) उपस्थिति संबंधी नियम

(क) महाविद्यालय द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता के लिए प्रत्येक विषय में 75% उपस्थिति आवश्यक है। केवल विशेष कारणों में जैसे - अस्वस्थता, दुर्घटना, खेलकूद, एन.सी.सी., ट्रेनिंग, एन.एस.एस.शिवर या महाविद्यालयीन गतिविधियों में भाग लेने पर प्राचार्य कुछ खुट दे सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में 75% से कम होगी उन्हें स्नातक होना चाहिए। जिन विद्यार्थियों की उपस्थित 75% से कम होगी उन्हें स्नातक एवं स्नातकोत्तर (कक्षाओं) में स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होना पद्रेगा वशतें वे आन्तरिक मूल्यांकन परीक्षा एवं परियोजना कार्य पूर्ण कर चुके हों।

(ख) उपस्थित की गणना सत्र में हुए व्याख्यानों से की जाएगी। उपस्थित जात करने का उत्तरदायित्व विद्यार्थी का होगा।

लगातार एक माह बिना बैध कारण से अनुपस्थित रहने पर विद्यार्थी का नाम महाविद्यालय से निरस्त हो जाएगा। विशेष परिस्थितियों में पुन: प्रवेश दिया गया तो शासकीय नियमानसार पुन: शुरू देव होगा।

#### महत्वपूर्ण (विशेष) : उपस्थिति

म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 6 के अनुसार महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता के लिये 75 प्रतिशत अपस्थित आवश्यक है। इस प्रावधान का पालन दूखता से किया जाया। उपस्थिति पूरी न होने पर परीक्षा में नियमित विद्यार्थी के कप में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी।

## (20) परीक्षा योजना

स्वशासी योजना के अन्तर्गत शास. होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दीर स्वयं अपनी परीक्षाएँ आयोजित करता हैं । महाविद्यालय में स्नातक



एवं स्नातकोत्तर स्तर पर, पूर्व से ही सेमेस्टर पद्धति लागू है । आयुक्त उच्चशिक्षा, मध्यप्रदेश शासन की मंशा अनुसार महाविद्यालयों में सेमेस्टर पद्धति में समानता, परीक्षा योजना, अंक विभाजन, परीक्षा कार्यक्रम एवं परीक्षा परिणाम जारी किये जाने में एकरुपता रहे, इस कारण महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर शासन द्वारा प्रदत्त नई परीक्षा योजना लागू की गई है। इसके अनुसार:

#### (क) स्नातक स्तर -

- प्रत्वेक विषय में दो प्रश्नपत्र रखे गये हैं। गणित, रसायन शास्त्र एवं आधारभूत पाठ्यक्रम में कुल तीन प्रश्नपत्र रखे गये हैं।
- 2. ऐसे समस्त विषय जिनमें दो प्रश्नपत्र एवं प्रायोगिक कार्य किया जाता है, प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 50 होंगे । प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र अधिकतम 35 अंकों का एवं सतत् आन्तरिक मृत्यांकन (C.C.E.) 15 अंको का होगा । प्रायोगिक कार्य 50 अंको का प्रथक से रहेगा ।
- 3. ऐसे विषय, जिनमें तीन प्रश्नपत्र एवं प्रायोगिक कार्य किया जाता है (जैसे रसायनशास), में तीनों प्रश्नपत्रों का C.C.E. सहित योग 100 रहेगा। प्रथम प्रश्नपत्रके अधिकतम अंक 24 तथा द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्र क्रमशः 23, 23 अंकों के होंगे। C.C.E. का योग 30 अंक रहेगा। प्रायोगिक कार्य 50 अंकों का होगा।
- 4. ऐसे विषय जिनमें तीन प्रश्नपत्र होते हैं एवं प्रायोगिक कार्य नहीं होता, जैसे गणित का कुल योग 150 रहेगा । प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र 35 अंकों का एवं उसका C.C.E. 15 अंकों का होगा । इस प्रकार कुल सैद्धांतिक परीक्षा 105 अंकों की एवं कुल C.C.E. 45 अंकों की होगी ।

#### स्नातक स्तर पर आधारभूत पाठ्यक्रम हेतु परीक्षा योजना एवं अंक विभाजन :-

प्रत्येक सेमेस्टर में प्रथम प्रश्नपत्र हिन्दी भाषा का, द्वितीय प्रश्नपत्र अग्रेजी भाषा का तथा तृतीय प्रश्नपत्र, प्रथम एवं द्वितीय से में स्टर में उद्यमिता विकास (Entrepreneurship Development) का, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में पर्यावरण अध्ययन (Environmental Studies) का तथा पंचम एवं पष्टम् सेमेस्टर में कम्प्यूटर जागरूकता (Computer Awareness) का होगा। भाषा विषयों के सेद्वांतिक प्रश्नपत्र 35-35 अंकों के होंगे एवं इनके C.C.E. 15-15 अंकों के होंगे एवं इनके 30 होंगे

तथा इसका C.C.E. 10 अंकों का रहेगा। शेष 10 अंक सर्वे कार्य / क्षेत्रीय कार्य आदि के रुप में रहेंगे। आधारभूत पाइयक्रम के प्रत्येक विषय में 33% प्राप्तांक सेमेस्टर परीक्षा में तथा 33% प्राप्तांक C.C.E. में पृथक-पृथक अर्जित करना अनिवार्य है। हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा तथा तृतीय अवयव तीनो अलगा-अलगा विषय माने जार्वेगे।

#### सतत् व्यापक मूल्यांकन हेत् अनुदेश :-

सतत् व्यापक मृत्यांकत का उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्यादा-से-ज्यादा समय अकादमिक गतिविधियों में व्यस्त रखना है। प्रत्येक विद्यार्थीं को प्रत्येक विषय में व्यापक सतत् मृत्यांकन (C.C.E.) में उपस्थित रहना अनिवार्थ है। इस मृत्यांकन कार्य हेत् रीर-पारम्परिक विधाओं का उपयोग किया जायेगा।

प्रत्येक विषय के सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों हेतु निर्धारित कुल अंकों का 30 प्रतिशत, सतत् व्यापक मुल्यांकन के लिए आवांटित रहेगा।

प्रत्येक सेमेस्टर में सतत् व्यापक मृत्यांकन के 30 प्रतिशत अंकों को दो समान चरणों (C.C.E.-I) एवं (C.C.E.-II) में विभावित किया गया है। सतत् मृत्यांकन कार्य में दोनों अथवा तीनों प्रश्नपत्रों का समावेश किया जावेगा। C.C.E.-I एवं C.C.E.-II में संयुक्त रूप से 33 प्रतिशत अंक अर्जित करना अर्जिवार्य है।

दोनों सतत् मूल्यांकन चरणों के पश्चात विषयवार अंकों का संयोजन कर, विद्यार्थियों हेतु प्राप्तांकों को सूचना पटल पर अवलोकनार्थ प्रदर्शित किया जावेगा।

### परियोजना कार्य हेतु अनुदेश :-

प्रत्येक सेमेस्टर में प्रत्येक विद्यार्थी को एक परियोजना कार्य के (Project Work) पूर्ण कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है । परियोजना कार्य के अन्तर्गत रोजगार / क्योजगार हेतु खोजे जाने वाले अवसर विद्यार्थी के विषव से संबंधित होना चाहिये । स्नातक प्रथम सेमेस्टर से विद्यार्थी को रोजगार-मूलक परियोजना कार्य (Job Oriented Project Work) से सम्बद्ध कर, उसी विधा में अंतः रोजगार के योग बनाना है । परियोजना कार्य सुचार रूप से संचालित करने हेतु मार्गदर्शी निर्देश निम्नानुसार हैं ।

- प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थी को 50 अंकों का एक परियोजना कार्य पूर्ण करना अनिवार्य है।
- विद्यार्थी द्वारा परियोजना कार्य किसी ऐसी संस्था से जुड़कर संस्थान के निर्देशन में करना होगा जो विषय में रोजगार के अवसर प्रदान कर सकता हो।
- प्रत्येक विद्यार्थी को उसके द्वारा लिये गये तीन प्रमुख विषयों में से



(आधारभूत पाद्यक्रम को छोड़कर) किसी एक विषय से संबंधित परियोजना कार्य पूर्ण करना होगा।

- विद्यार्थी को परियोजना कार्य, मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित कार्य क्षेत्रों की सूची में से अथवा स्थानीय परिवेश में उपलब्धता के आधार पर विषय के अनुसार विकल्प चयन करना होगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी को परियोजना कार्य से संबंधित प्रतिवेदन (रिपोर्ट) निर्धारित प्रारुप में प्रत्येक सेमेस्टर में अंतिम शैक्षणिक कार्य-दिवस के 15 दिवस पूर्व अनिवार्यत: अपने मार्गदर्शक शिक्षक (गाईड) के माध्यम से जमा कराना होगा।
- 6. परियोजना कार्य हेतु न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक उत्तीर्ण होने हेतु अनिवार्य हैं । इससे कम अंक अर्जित करने अथवा परियोजना कार्य जमा नहीं करने की रिथित में विद्यार्थी को परीक्षा के नियमानुसार A.T.K.T. प्रदान की जावेगी अथवा अनुतीर्ण घोषित किया जावेगा ।
- परियोजना कार्य हस्तिलिखित, पाठ्यक्रम के अन्तर्गत एवं अनुरूप होना चाहिए।
- प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत परियोजना कार्य प्रतिवेदन (Project Report) पर एक मीखिक परीक्षा (Viva Voce) का आयोजन संबंधित विभाग द्वारा किया जावेगा ।
- विषम सेमेस्टरों (प्रथम/तृतीय/पंचम) के विद्यार्थियों के लिए परियोजना कार्य के मृत्यांकन का स्वरूप (यथा मौखिक परीक्षा) आंतरिक होगा । इन सेमेस्टरों में परियोजना कार्य का मृत्यांकन मार्गदर्शक द्वारा किया जायेगा ।
- 10. सम सेमेस्टरों (द्वितीय/चतुर्ख/षष्ठम्) के विद्यार्थियों के लिए परियोजना कार्य के मुल्यांकन का स्वरुप बाह्य होगा। इन सेमेस्टरों में परियोजना कार्य का मुल्यांकन स्वशासी महाविद्यालय के प्राचार्थ/परीक्षा नियंजक द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों द्वारा आंतरिक परीक्षकों अथवा मार्गदर्शकों के सहयोग से किया जायेगा।
- परियोजना कार्य की मौखिक परीक्षा, परियोजना कार्य प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के 10 दिवसों के अन्दर आयोजित की जावेगी ।
- परियोजना कार्य में मूल्यांकन का आधार एवं अंक विभाजन

निम्नानुसार रहेगा -

- अ) परियोजना कार्य का प्रतिवेदन (Project Report)
  - : 25 अंक
- परियोजना कार्य का प्रस्तुतीकरण (Presentation of Project) :15 अंक
- स) परियोजना कार्य पर मौखिक परीक्षा (Viva Voce on Project) :10 अंक

### परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए निर्देश :-

प्रत्येक विद्यार्थीं को प्रत्येक सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने हेतु निम्न अर्हताएँ अनिवार्य हैं -

- प्रत्येक विषय के सभी प्रश्नपत्रों का योग 33 प्रतिशत होना आवश्यक है।
- प्रत्येक विषय के C.C.E. में 33 प्रतिशत अंक पृथक से होना आवश्यक है।
- प्रत्येक विषय के सैद्धांतिक प्रश्नपत्र एवं C.C.E. का बोग 33 प्रतिशत होना आवश्यक है।
- प्रत्येक विषय के प्रायोगिक कार्य में पृथक से 33 प्रतिशत अंक होना आवयस्थक है।
- प्रत्येक विषय के सैद्धांतिक प्रश्नपत्र, C.C.E. एवं प्रायोगिक कार्य का योग 33 प्रतिशत होना आवश्यक है।
- आधारभृत पाद्यक्रम के तृतीय प्रश्नपत्र में क्षेत्रीय कार्य/असाइन्मेन्ट में पृथक से 33 प्रतिशत अंक होना आवश्यक है।
- रोजगार मूलक परियोजना कार्य में पृथक से 33 प्रतिशत अंक होना आवस्थक है।

### कृपांक हेतु नियम :-

- स्नातक स्तर पर A.T.K.T. एवं उत्तीर्ण होने के लिए सैद्धांतिक परीक्षा में एक अंक के क्यांक की पात्रता होगी ।
- श्रेणी सुधार हेतु एक अंक के कृपांक की पात्रता केवल अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में होगी । किसी भी विद्यार्थी को एक साथ दो प्रकार के कृपांक का लाभ नहीं दिया जा सकेगा ।

#### A.T.K.T. की पात्रता हेतु निर्देश :-

 स्नातक स्तर पर मध्यप्रदेश शासन के निर्णयानुसार दो विषयों में A.T.K.T. की पात्रता होगी।



- यदि विद्यार्थी समस्त C.C.E. में उपस्थित हुआ हो किन्तु अपिहार्य कारणों से दो विषयों की स्नातक परीक्षा में उपस्थित न हुआ हो, तो उसे मुख्य सैद्धांतिक परीक्षा में संबंधित विषयों में A.T.K.T. की पात्रता रहेगी।
- बादि विद्यार्थी समस्त C.C.E. में उपस्थित हुआ हो किन्तु दो विषय में निर्धारित प्राप्तांक अर्जित न कर पाया हो, तो उसे संबंधित विषयों में A.T.K.T. की पात्रता रहेगी।
- यदि विद्यार्थी स्नातक स्तर पर समस्त C.C.E. में उपस्थित न हुआ हो तथा मुख्य सैद्धांतिक परीक्षा में किन्ही दो विषयों में अनुपस्थित रहा हो तो उसे A.T.K.T. की पात्रता नहीं होगी।
- A.T.K.T. परीक्षा में निर्धारित अंक अर्जित न कर पाने की स्थिति में विद्यार्थी को पुन: A.T.K.T. की पात्रता नहीं होगी तथा उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया जावेगा ।
- 6. यदि स्नातक स्तर पर विद्यार्थी को विगत सेमेस्टर में A.T.K.T. हैं व आगामी सेमेस्टर में उत्तीर्ण होता है किन्तु A.T.K.T. (निकटतम सेमेस्टर) में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया जावेगा तथा अगले वर्ष भूतपूर्व विद्यार्थी (Exstudent) के रूप में रूके हुऐ सेमेस्टर में पुनः बैठना होगा
- अगस्त/जनवरी माह में A.T.K.T. परीक्षा आयोजित की जावेगी | A.T.K.T. परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए केवल एक अवसर प्रदान किया जावेगा |

#### स्नातकोत्तर स्तर

शैक्षणिक सत्र 2008-09 से स्नातकोत्तर स्तर पर भी मध्यप्रदेश शासन के उच्चशिक्षा विभाग द्वारा प्रेषित परीक्षा योजना एवं अंक विभाजन प्रारंभ किया गया है। सत्र 2009-10 से स्नातकोत्तर स्तर पर बारों सेमेस्टर में नवीन योजना लागू हो गई है। नवीन योजना निम्नानसार है-

- प्रत्येक विषय के प्रत्येक प्रश्नपत्र का अधिकतम योग 50 अंकों का रहेगा । प्रत्येक प्रश्नपत्र हेतु सैद्धांतिक परीक्षा (Theory Exam) एवं सतत् आन्तरिक मूल्यांकन (C.C.E.) अनिवार्ष है । प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र 35 अंकों का एवं संबंधित प्रश्नपत्र का सतत् आन्तरिक मूल्यांकन 15 अंको का होगा ।
- 2. प्रत्येक विषय में प्रायोगिक कार्य 100 अंकों का रहेगा । एक

प्रायोगिक परीक्षा की स्थिति में अधिकतम अंक 100 रहेंगे। दो प्रायोगिक परीक्षा की स्थिति में, प्रत्येक प्रायोगिक परीक्षा 50-50 अंकों की होगी।

#### सतत् व्यापक मृल्यांकन हेत् अनुदेश :-

प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र हेतु निर्धारित कुल अंकों का 30 प्रतिशत अर्थात 15 अंक, सतत् व्यापक मृत्यांकन (C.C.E.) हेतु आवंटित किये गये हैं।

#### परियोजना कार्य हेत् अनुदेश

स्नातकोत्तर पाद्यक्रम में परियोजना कार्य का उदेश्य रोजगार/स्वरोजगार के अवसरों की खोज करना एवं उस कार्य के लिए आवश्यक कौशल/जान प्राप्त करना है ताकि पाद्यक्रम समाप्ति पर विद्यार्थी रोजगार/स्वरोजगार के लिए स्वयं को विशिष्ट बौद्धिक समाज के मध्य आत्मविश्वस से परिपूर्ण होकर प्रस्तुत कर सके । स्नातकोत्तर स्तर पर रोजगार मुलक परियोजना निनानुस्तर रहेगी -

- प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थी को लगभग 50 मानव घण्टे और 50 अंको का एक परियोजना कार्य अनिवार्यत: पूर्ण करना होगा ।
- प्रत्येक विद्यार्थी को परियोजना कार्य अपने नियमित अध्ययन काल के अतिरिक्त समय में पूर्ण करना होगा ।
- प्रत्येक विद्यार्थी को परियोजना कार्य से संबंधित प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में अनिवार्यत: प्रत्येक सेमेस्टर में अंतिम शैक्षणिक कार्य दिवस के 15 दिवस पूर्व अपने निर्देशक के माध्यम से विभाग में जमा करना होगा।
- परियोजना कार्य जमा नहीं करने की स्थिति में विद्यार्थी को परीक्षा नियमानुसार A.T.K.T. अथवा अनुत्तीर्ण घोषित किया जावेगा।
- प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर के अंत में विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत परियोजना कार्य प्रतिवेदन पर एक मौखिक परीक्षा आयोजित की आवेगी।
- प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए मीखिक परीक्षा का स्वरूप आन्तरिक होगा । इस सेमेस्टर में परियोजना कार्य का मृत्यांकन संस्थागत स्तर पर निर्देशक द्वारा किया जावेगा ।
- द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए मीखिक परीक्षा का स्वरूप बाह्य होगा। इस सेमेस्टर में परियोजना कार्य का मृल्यांकत स्वाशासी महाविद्यालय के प्राचार्य/परीक्षा नियंत्रक द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों एवं आन्तरिक परीक्षकों के सहयोग से किया जायेगा।
- 8. परियोजना कार्य की मौखिक परीक्षा, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की



अंतिम तिथि के 10 दिवसों के अन्दर आयोजित की जावेगी।

- मौखिक परीक्षा के दौरान विद्यार्थों को परियोजना प्रतिवेदन पर प्रस्तुति (Presentation) देना होगी । यह प्रस्तुति विषय के समस्त विद्यार्थियों एवं संकाय सदस्यों की उपस्थिति में MS-Power Point के माध्यम से की जावेगी ।
- परियोजना कार्य में मूल्यांकन का आधार निम्नानुसार रहेगा अ) परियोजना कार्य का प्रतिवेदन : 20 अंक
  - ब) व्यक्तित्व विकास प्रतिवेदन :10 अंक
  - स) परियोजना कार्य का प्रस्तुतीकरण : 10 अंक
  - द) परियोजना कार्य पर मीखिक परीक्षा : 10 अंक

#### परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिये निर्देश :-

प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने हेतु निम्न अर्हताएँ अनिवार्य हैं -

- विद्यार्थी को प्रत्येक सैदांतिक प्रश्नपत्र उत्तीर्ण करने के लिए सतत् व्यापक मृह्यांकन (C.C.E.) एवं सेमेस्टर के अंत में आयोजित सैदांतिक परीक्षा में पृथक-पृथक न्यूनतम 34 प्रतिशत अंक अर्जित करने होंगे (अर्थात प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र में 35 में से 12 अंक तथा उसके C.C.E. में 15 में से 05 अंक, इस प्रकार 50 में से 17 प्राप्तांक )।
- प्रायोगिक परीक्षा एवं रोजगार मूलक परियोजना कार्य को उत्तीर्ण करने के लिए पृथक-पृथक न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक निर्धारित किये गये हैं (अर्थात प्रत्येक प्रायोगिक परीक्षा में 50 में से 20 अंक, 100 में 40 अंक तथा परियोजना कार्य में 50 में से 20 अंक) ।
- किसी भी एक सेमेस्टर को उत्तीर्ण करने के लिए विद्यार्थों को सेमेस्टर योग के लिए निर्धारित कुल अंकों के न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करने होंगे।

### कृपांक हेतु नियम :-

- स्नातकोत्तर स्तर पर केवल A.T.K.T. से उत्तीर्ण होने के लिए मुख्य सैद्धांतिक परीक्षा में एक अंक के कृपांक की पात्रता होगी।
- श्रेणी सुधार हेतु एक अंक के कृपांक की पात्रता केवल अंतिम संमेस्टर परीक्षा में होगी। किसी भी विद्यार्थी को एक साथ दो

प्रकार के कृपांक का लाभ नहीं दिया जा सकेगा।

### A.T.K.T. की पात्रता हेतु निर्देश :-

- स्नातकोत्तर स्तर पर मध्यप्रदेश शासन के निर्णयानुसार दो प्रश्नपत्रों में A.T.K.T. की पात्रता होगी।
- यदि विद्यार्थी समस्त C.C.E. में उपस्थित हुआ हो किन्तु अपरिहार्य कारणों से दो प्रश्नपत्रों में उपस्थित न हुआ हो तो उसे मुख्य सैद्धांतिक परीक्षा में संबंधित प्रश्नपत्रों में A.T.K.T. की पात्रता रहेगी।
- यदि विद्यार्थी समस्त C.C.E. में उपस्थित हुआ हो किन्तु वो प्रश्नपत्रों में निर्धारित प्राप्तांक अर्जित न कर पाया हो, तो उसे संबंधित प्रश्नपत्रों में A.T.K.T. की पात्रता रहेगी ।
- A.T.K.T. परीक्षा में निर्धारित अंक अर्जित न कर पाने की स्थिति में विद्यार्थी को युन: A.T.K.T. की पात्रता नहीं होगी तथा उसे अनुनीण घोषित किया जावेगा ।
- स्नातकोत्तर स्तर पर A.T.K.T. के लिए केवल एक अवसर प्रदान किया आवेगा।

## (21) कार्यस्थल प्रशिक्षण (इंटर्नशिप हेतु अनुदेश)

- (1) वर्तमान सेमेस्टर प्रणाली में उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्नातक कक्षाओं में पंचम एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में तृतीय सेमेस्टर हेतु प्रत्येक विद्यार्थी के कार्यस्थल प्रशिव्हाण (इंटर्गिशप) कराने का प्रावधान रखा गया है । विद्यार्थियों को सैद्धांतिक प्रश्न-पत्रों की परीक्षा नहीं देना होगी । कार्य-स्थल प्रशिक्षण की योजनानुसार ही कार्य करना होगा
- (2) विभाग के मार्गव्हान के शिक्षक (गाइड) विद्यार्थियों के साथ कार्जितिंग करके, प्रशिक्षण संस्थान का निर्धारण करेंगे । संबंधित संस्थान/संस्था के सक्षम अधिकारी का अनुमति पत्र प्राप्त हो जाने के पत्रचान, विद्यार्थी बहां इंटरिंगिए हेतु जा सकेंगे ।
- (3) संबंधित संस्थान/संस्था जहां विद्यार्थी इंटर्निशिप हेतु जा रहे हैं, द्वारा विद्यार्थी/विद्यार्थीयों का उन्मुखीकरण किया जाकर, इंटर्निशिप के दौरान कार्य आदि की रूपरेखा तैयार की जाऐगी।
- (4) दो माह का कार्य-स्थल प्रशिक्षण होगा अर्थात् विद्यार्थी चुने हुए स्थान पर दो माह तक कार्यानुभव प्राप्त करेंगे ।,
- (5) इसके परचात् विद्यार्थी, मार्गदर्शक-शिक्षक एवं ट्रेनर के मार्गदर्शन में इंटरशिप रिपोर्ट/डिजर्टेशन तैयार कर, विभाग को सौपेंगे।
- (6) माह नवम्बर में निर्धारित दिन स्थानीय स्तर के बाह्य परीक्षक,



### महाविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा से संबंधित शुल्क विवरण-नियमित विद्यार्थी

	परीक्षा फीस	आन्तरिक मूल्यांकन फीस		गवेदन पत्र गेस	आधार पाठ्यक्रम	कुल राशि
बी.एस-सी. प्रथम सेमेस्टर	1200.00	100.00	100	.00	100-00	1500.00
बी.एस.सी. द्वितीय सेमेस्टर	1200.00	100.00	100	.00	100.00	1500.00
बी.एस-सी. तृतीय सेमेस्टर	1200.00	100.00	100	.00	100.00	1500.00
बी.एस-सी. चतुर्थ सेमेस्टर	1200.00	100.00	100	.00	100.00	1500.00
	परीक्षा फीस	आन्तरिक मूल्यांकन फीस	उपाधि शुल्क	परीक्षा आवेदन पत्र फीस	आधार पाड्यक्रम	कुल राशि
बी.एस-सी. पंचम सेमेस्टर	1200.00	100.00	-	100.00	100.00	1500.00
बी.एस-सी. षष्ठम सेमेस्टर	1200.00	100.00	200.00	100.00	100.00	1700.00
	परीक्षा फीस	आन्तरिक मूल्यांकन फीस	उपाधि शुल्क	परीक्षा पत्र प		कुल राशि
एम.एस-सी. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर	1200.00	100.00	-	100	.00	1400.00
एम.एस-सी. चतुर्थ सेमेस्टर	1200.00	100.00	200.00	100	.00	1600.00
एम.फिल. प्रथम सेमेस्टर	1500.00	100.00	- 5	100	.00	1700.00
एम.फिल. द्वितीय सेमेस्टर	1500.00	100.00	200.00	100	.00	1900.00

### शुल्क विवरण-भृतपूर्व विद्यार्थी

	परीक्षा फीस	आन्तरिक मूल्यांकन फीस	परीक्षा आवेदन पत्र फीस	आधार पाठ्यक्रम	कुल राशि
बी,एस-सी, प्रथम सेमेस्टर	1900.00	100.00	100.00	100.00	2200.00
बी.एस-सी. द्वितीय सेमेस्टर	1900.00	100,00	100.00	100.00	2200.00
बी.एस-सी. तृतीय सेमेस्टर	1900.00	100.00	100.00	100.00	2200.00
बी.एस-सी. चतुर्थं सेमेस्टर	1900.00	100.00	100.00	100.00	2200.00
बी.एस-सी. पंचम सेमेस्टर	1900.00	100.00	100.00	100.00	2200.00
ची.एस-सी. षष्टम सेमेस्टर	1900.00	100.00	100.00	100.00	2200.00
एम.एस-सी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर	1900.00	100.00	100.00	-	2100.00

#### शुल्क विवरण-ए.टी.के.टी. (सभी विद्यार्थियों हेत्)

	परीक्षा फीस	आन्तरिक मूल्यांकन फीस	परीक्षा आवेदन पन्न फीस	कुल राशि
बी.एस-सी. सेमेस्टर परीक्षा	1500.00	-	100.00	1600.00
एम.एस-सी. सेमेस्टर परीक्षा	1700.00	-	100.00	1800.00

- बी.एस.-सी. प्रथम सेमेस्टर तथा एम.एउस.-सी. एम.फिल. पाद्यक्रमों हेतु अन्य विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिये रूपये 200.00 नामांकन शुल्क, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर हेतु प्रवेश शुल्क के साथ प्रथक से देव होगा।
- विभिन्न प्रकार के आवेदनों यथा परीक्षा आवेदन पत्र, पुनर्मृत्यांकन, पंजीयन आदि आवेदनों हेतु निर्धाति दिनांक के पश्चात रूपये 250.00 विलम्ब शुन्क देव होगा ।
- भृतपूर्व विद्यार्थियों को जुलाई/जनवरी साह में पंजीयन आवेदन के साथ पंजीयन शुल्क रूपये 1000.00 देय अनिवार्य है ।



मार्गदर्शक-शिक्षक एवं ट्रेनर की उपस्थिति में अपना इंटर्नशिप प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। जिसका मृल्यांकन तीनों के द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाएगा।

(7) कार्यस्थल प्रशिक्षण के मृत्यांकन हेतु अंक व्यवस्था प्रत्येक विभाग में उपलब्ध है। निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक विद्यार्थी को कार्यस्थल प्रशिक्षण मासिक प्रगति प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

### (22) विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता

महाविद्यालय की गरिमा बनाये रखने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पूर्णत: अनुशासित रहें एवं महाविद्यालय के नियमों का ईमानदारों से पालन करें।

अध्ययन एवं पाद्येतर कार्यक्रमों पर ध्यान लगाएँ। कक्षाओं में नियमित रहें । संबंधित रिक्षकों से अपनी उपस्थिति की नियमित बानकारी तेते रहें। किसी भी प्रमाण पत्र से उपस्थिति नहीं दी जावेगी। आचार संहिता के पालन न करने पर या किसी भी विवादास्पद स्थिति में प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं यंपनकारी होगा।

### (23) परिचय पत्र

प्रवेश प्राप्त बिद्यार्थी को परिचय पत्र दिया जाता है। परिचय पत्र में समस्त पूर्तियों होने पर उसे सम्बन्धित प्रक्रित व प्राचार्य से अभिग्रमाणित कराना अनिवार्थ है। अभिग्रमाणित परिचय-पत्र के अभाव में छात्र को कक्षा में बैटने की अनुमित नहीं दी जावेगी एवं ग्रंथालय से पुस्तके भी नहीं मिलेगी। इस महाविद्यालय के समारोहों, टी.सी., छात्रवृत्ति और पूर्व अदेय प्रमाण पत्र लेते समय अथवा कभी भी निरीक्षण के समय परिचय पत्र बतलाना आवश्यक है। इसे सदैव अपने पास रखें। इसके खो जाने पर इसकी सूचना तुरंत महाविद्यालय ग्रशासन एवं पुलिस थाना को देनी चाहिये। पुलिस थाने में की गईं रिपोर्ट की छावाग्रति संलम्न करने पर ही डुप्लीकेट परिचयपत्र बनाया जायेगा।

### (24) आवश्यक सूचनायें :

- महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में सेमेस्टर पद्धति लागृ है।
- आवेदक एवं उनके अभिभावक से अपेक्षा है कि विवरणिका को पूर्णत: पढ़ लें। विद्यार्थी अपना प्रवेश आवेदन फार्म स्वयं भरे एवं महाविद्यालय में स्वयं आकर जमा करें।
- विद्यार्थी अपना प्रवेश शुल्क स्वयं जमा करें तथा मूल प्रवेश रसीट प्राप्त करें । मूल रसीट सावधानीपूर्वक सम्झालकर रखें ।
- प्रवेश आवेदन फार्म के साथ अपनी अंकसूचियाँ एवं अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की कायाप्रतियाँ अनिवार्य रूप

- से संलम करें। प्रवेश के समय मूल अंकस्चियाँ तथा प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करें। आवेदन फार्म के साथ संलम्न किये गये प्रमाण-पत्रों के आधार पर प्रवेश अधिभार प्रदान किया जायेगा।
- महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी समस्त नियम एवं सुचनाएं समय-समय पर सुचना पटल पर चस्या की जाएगी । विद्यार्थी नियमित रूप से अवलोकन करें एवं प्रवेश की अंतिम तिथि का विशेष ध्यान एखें ।
   आवेदन की समस्त पुर्तियां की जाना अनिवार्थ है । अपूर्ण आवेदन पर
  - आवेदन की समस्त पूर्तियां की जाना अनिवार्य है । अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा ।
- परीक्षा परिणाम अधोषित होने की स्थिति में भी प्रावधानिक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा ।
- 8. निर्धारित तिथि के बाद प्रवेश किसी भी दशा में संभव नहीं होगा । जाली प्रमाण-पत्नों के आधार पर/गलत जानकारी देने पर जानबुड़कर छिपाये गये प्रतिकृत तथ्यों/प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीयश यदि किसी आवेदक को प्रयेश मिल गया है तब ऐसे प्रयेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा ।
- प्रवेश लेकर बिना किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमित या सूचना के बिना कक्षा में लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहने वाले बिद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा
- 10. प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निस्सत होने अथवा उसका निकासन किये जाने की स्थित में विद्यार्थी को कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा । तकनींकी/ध्यावसायिक पाद्यक्रम में प्रवेश हो जाने पर विद्यार्थी को मात्र रूपये 100/- प्रक्रिया शुल्क काटकर जमा की गई सम्पूर्ण शुल्क की राशि वापिस की जायेगी । प्रावधिक प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी अनुनीण मेंचित होने पर रूपये 100/- प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष राशि वापिस कर हो जायेगी ।
- 11. कक्षा में मोबाईल फोन का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित है। प्रयोग करने पर मोबाईल फोन जब्त कर लिया जायेगा और आर्थिक दण्ड (जुर्माना) के लिये प्राचार्य अधिकृत है। इसकी पुनरावृत्ति होने पर दण्ड राशि उत्तरोत्तर बढ़ा दी जायेगी और मोबाईल फोन जप्त कर लिया जायेगा।
- 12. कक्षाओं में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है ।
  - महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णत: प्रतिबंधित है । विद्यार्थी को स्वयं एवं विद्यार्थी के अभिभावक को अपने पाल्य के रैगिंग की गतिविधियों में शामिल नहीं होने का वचन पत्र देना अनिवार्थ होगा ।
- रैगिंग में लिप्त विद्यार्थी के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही, महाविद्यालय और छात्रावास से निष्कासन, छात्रवृत्ति तथा अन्य



प्रदत्त लाभ वापस लेने की कार्यवाही के अलावा अर्थदण्ड और सार्वजनिक क्षमायाचना का भी प्रावधान रहेगा ।

 महाविद्यालय परिसर में तंबाक्, गुटका, धृम्रपान, मद्यपान आदि का प्रयोग पूर्णत: वर्जित है ।

### (25) स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के नियम:-

येगा स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को संबंधित विभागों से अदेय प्रमाण-एत्र (नो-इयुज) लेना होगा । दी.सी. के लिखे निर्धारित शुल्क जमा करने होंगे । आवेदन पत्र के साथ शुल्क की रसीद व अदेय प्रमाणपत्र संलम्न कर कार्यालय में जमा करना होगा।

### (26) विद्यार्थियों के लिए सुविधाएँ

#### (1) शिक्षक अभिभावक योजना

महाविद्यालय में टीचर गार्जियन स्कीम के अंतर्गत प्रति कक्षा के लिए एक शिक्षक अभिभावक (Proctor) मनोनीत किया जाता है। विद्यार्थी अपनी समस्याओं के लिए तथा मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उनसे सम्पर्क कर सकते हैं। ये प्राक्टर ही छात्र की उपस्थित संबंधी समस्त जानकारी समेकित रूप में रखते हैं। छात्र अपने प्राक्टर से सम्पर्क रखें।

#### (2) खेलकृद

महाविद्यालय में अनेक खेलों की सुविधायें उपलब्ध है। छात्र-छात्राओं से अपेक्षा है कि वे महाविद्यालय की खेलकूद गतिविधियों में भाग लें। उनके नियमित अभ्यास करने पर ही अन्तरमहाविद्यालयीन एवं अन्य प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु चयन किया जाता है। खेलों के अभ्यास प्रारंभ होने की तिबि के लिए सुचना पटल देखे एवं क्रीड़ा अधिकारी से सतत सम्पर्क बनाए एखें।

### (3) एन.एस.एस./एन.सी.सी.

बी.एस-सी.।, ॥ सेमेस्टर अथवा ॥।, Ⅳ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए उपर्युक्त में से किसी एक गतिविधि से सम्बद्ध होना अनिवार्थ है तथा उसमें न्यूनतम उपस्थिति 75% होना चाहिए।

### (अ) एन.एस.एस. (राष्ट्रीय सेवा योजना)

महाविद्यालय में एन. एस. एस. की एक छात्र इकाई एवं एक छात्रा इकाई कार्यत है। प्रत्येक इकाई में सी स्वयं सेवकों की भर्ती का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत नागरिक सुरक्षा, गन्दी बस्तियां, ग्रामों में अमदान द्वारा निर्माण कार्य, ग्रीह शिक्षा, सामाबिक कुरीतियों के विरुद्ध संपर्य, रोगियों की सेवा, रक्तनान, प्राथमिक उपचार, वृक्षारोपण आदि समाज सेवा के कार्य किये जाते हैं। दो वर्षों में 240 घंटे कार्य करने पर विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। दीर्घावकाश में एक समाज सेवा शिविर में भाग लेना होता है। डॉ. चितरजन शर्मा (गणित विभाग)एवं क. लक्ष्मी तन्त्रवाय (रसायन विभाग) रासेयो अधिकारी हैं।

#### (व) एन.सी.सी. (राष्ट्रीय छात्र सेना)

इसके अन्तर्गत निम्न इकाइयाँ कार्यरत हैं-

विंग स्थान अधिकारी

एन.सी.सी. गर्ल्स विंग 53 मेजर (श्रीमती) प्रीति चतुर्वेदी

आर्मेड 65 केप्टन डॉ. संजय व्यास

एयर विंग 220 (पूरे शहर के लिए)

### (4) पी.एम.टी. एवं पी.ई.टी. प्रशिक्षण

महाविद्यालय एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में P.M.T., P.E.T. तथा कृषि महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये पिछडे वर्ग के विद्यार्थियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।

#### (5) पुस्तकालय

संदर्भ ग्रंथों की सुविधा के साथ महाविद्यालय के पुस्तकालय में 80 हजार से अधिक पुस्तकें हैं। पुस्तकालय का भव्य सुविधापूर्ण नवनिर्मित भवन है। (देखें कवर-4) पुस्तकालय निम्न भागों में विभाजित हैं:-

मुख्य सामान्य पुस्तक कक्ष : इसमें विभिन्न विषयों पर हजारों पुस्तकें विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के अध्ययन हेतु उपलब्ध हैं।

स्नातकोत्तर विभागीय पुस्तकालय : यह स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए केन्द्रीय पुस्तकालय में संचालित किया जाता है।

अध्ययन कक्ष: यह कक्ष उन सभी परिश्रमी विद्यार्थियों के लिए है जो महाविद्यालय परिसर में ही अध्ययन करना चाहते हैं। यहाँ पाद्यपुस्तकें एवं संदर्भ ग्रंथ अध्ययन हेतु उपलब्ध है।

पुस्तक कोष (बुक बैंक) : यू.जी.सी. एवं शासन के सहयोग से निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए बुक बैंक की सुविधा उपलब्ध हैं। इसमें विद्यार्थियों को पूरे सत्र के लिए पुस्तक दी जाती हैं।

वाचनालय कक्ष : इसमें देश-विदेश की उत्तम पत्रिकाएँ एवं समाचार पढ़ने के लिए उपलब्ध रहते हैं।

पुस्तकालय में संदर्भ हेतु तथा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए पुस्तकें उपलब्ध हैं।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के लिए नि:शुल्क पाठ्य पुस्तर्के एवं स्टेशनरी प्रदाय की जाती है।

### (6) बैंक तथा औषधालय

छात्रों, त्रिक्षकों, कर्मचारियों की सुविधा के लिए महाविद्यालय परिसर में स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर की शाखा एवं शासकीय औषधालय की सुविधा भी उपलब्ध है।

And the property of the party o

at Note that the part of the p

THE TYPE OF THE ADDRESS OF THE PARTY.

methodological payment in all the color of t

Comments of the Comments of th

A service of billion dental a county in a) of classes will believe to be but a more a more which and a class and all a county below and a county of billion to service the author are upon billion to dental a class of a plot had are upon billion to be builded in a county.

CONTRACTOR CONTRACTOR

The make the property and from a street or the property of the

....

tro like

power group if yours per called a right to community of the configurations band recognized a first term of the configuration and the configuration of the co

The dispuries and a public of the public of

And the first control from a filling of the second of the

AND CONTRACTOR AND CO

OFFICE PRODUCTS



रैगिंग : मान. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.10.06 संदर्भ एस.एल.पी. 2495/06 केरल विश्वविद्यालय किरुब्र महाविद्यालय प्राचार्यों की परिषद तथा एस.एल.पी. कं. 24296-24299/2004, डब्ल्यू.पी. (सी.आर.सी) नं. 173/206 तथा एस.एल.पी. कं. 14356/2005 के अनुसार रैगिंग एक रण्डनीय अपराध है। महाविद्यालय या छात्रावास परिसर में या अन्यत्र कहीं भी रैगिंग लेना पूरी तरह प्रतिवंधित है। रैगिंग के लिये दोषी विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित किया जाकर उसके विरुद्ध कठोर निषेधात्मक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। वरिष्ठ विद्यार्थी इसका ध्यान रखें। रण्ड : मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनिवम, 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क. 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय परिसर या बाहर अनुशासन भंग किये जाने पर दोषी विद्यार्थी के विरुद्ध विन्नानुसार रण्ड का प्रावधान है:-

- । कथाओं से निलाबन।
- 2. महाविद्यालय से निष्कासन।
- 3. वि.वि./स्वशासी परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना।

## (28) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त वि.वि. (IGNOU) नई दिल्ली के संबंध में जानकारी

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय(जिसका संविध्र नाम इन्मू है) देश ही नहीं वयन पूर्व विश्व का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय है जिसकी शाखाएँ देश के साथ-साध विदेशों में भी हैं। ऐसी विश्व व्यापी संस्था का अध्ययन केन्द्र होलकर विज्ञान महाविद्यालय में होना गीरव की बात है। वर्तमान में इन्मू इारा अनेको रोजगारोन्मूखी पाट्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इन्मू इारा तैयार अध्ययन सामग्री अतिविशिष्ट है जिसे अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया जाता है। इन्मू का अपना चैनल 'ज्ञानदर्शन' एवं आकाशवाणी 'ज्ञानवाणी' संचालित है जिनके माध्यम से कई उपयोगी कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। महाविद्यालय में Edu. Sate के माध्यम से चीडियो कान्क्रेरिंग एवं ऑन लाइन टीचिंग की सुविधा इन्मू के विद्यार्थियों हेतु उपलब्ध है।

इन्तू में प्रवेश के लिए एक आवेदन फार्म अध्ययन केन्द्र से प्राप्त कर, भरकर आवश्यक दस्तावेबों सहित क्षेत्रीय निदेशक, कार्यालय तीसरी मंजिल, सांची कॉम्पलेक्स, शिवाजी नगर, भोषाल भेजना होता है। प्रवेश हो जाने पर अध्ययन सामग्री सीधे नई दिल्ली कार्यालय से डाक द्वारा सम्बन्धित को भेज दी जाती है। शिक्षायी को उक्त सामग्री क अध्ययन करना होता है और काउन्सिलंग के लिए अध्ययन केन्द्र से सम्पर्क करना होता है। अध्ययन केन्द्र हारा काउन्सिलंग की जानकारी प्रत्येक शिक्षार्थी को दी जाती है जो सामान्यत: प्रत्येक रिववार को आयोजित होते हैं। इस्तू हारा सामान्यत: चार प्रकार के पाद्वकृत्रम संचालित है एक तो प्रमाण-पत्र पाद्यकृम जो छ: माह के होते हैं उनमें सत्रीय कार्य करने आवश्यक नहीं हैं। दूसरे पाद्यकृत्रम एकवर्षीय डिप्लोमा पाद्यकृत्रम, तीसरे स्नातक एवं स्नातकोत्तर एवं चौथे Ph.D. पाद्यकृत्रम होते हैं सभी में सत्रीय कार्य भी करते होते हैं एवं आवश्यक होने पर पियोजना कार्य भी करता पड़ता है।

इन् में परीक्षा वो सत्रों में होती है। एक जून में व दूसरे दिसम्बर में । प्रत्येक गिक्षार्थी को परीक्षा में सम्मितित होने के लिए परीक्षा आवेदन फार्म भरना होता है। परीक्षा आवेदन इन्मू की वेबसाईट www.ignou.ac.in पर आन लाईन भी भर सकते हैं। एक वर्षीय पाद्यक्रम के लिए परीक्षा एक वर्ष पुण्ड होने पर ही दे सकते हैं। परीक्षा हेतु प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए रू. 60=00 शत्क देना होगा।

इल् में सत्र एक जुलाई या एक जनवरी से प्रारम्भ होते हैं । कुछ पाद्यक्रम जैसे बी.ए. बी.काम, बी.एस-सी. एवं सभी स्नातकोत्तर पाद्यक्रम आदि एक जुलाई से तथा सभी पीजी डिप्लोमा एक जनवरी से प्रारम्भ होते हैं । छमाही प्रमाण-पत्र पाद्यक्रम एवं बीपीपी दोनों सत्रों (जुलाई एवं जनवरी) में प्रार्थभ होते हैं।

इस्नू के सभी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ए.आई.सी.टी.ई. से मान्य है । इस्नू द्वारा एक ऐसा पाठ्यक्रम बीपीपी संचालित है जो कि छ: माह का है एवं कोई भी व्यक्ति । 8 वर्ष की उम्र प्राप्त करने के पश्चात् कर सकता है । भले ही उसकी पूर्व में शैश्रणिक योग्यता कुछ भी न रही हो । इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के पश्चात् इस्नू द्वारा संचालित बी.ए., बी.कॉम., एवं कुछ अन्य चुनिन्दा पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं एवं उच्च शिक्षा ग्राप्त कर सकते हैं ।

इन्नू में प्रत्येक छात्र अपने नियमित अध्ययन के साथ तथा कोई भी कार्यंत कर्मचारी इन्नू के एक या एक से अधिक पाद्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं । इन्नू में उम्र का बंधन नहीं है । इन्नू प्रत्येक पाद्यक्रम के लिए नाममात्र का शुल्क प्राप्त करता है जो अन्य संस्थानों की तुलना में न्यूनतम है ।

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल के प्रमुख सचिव द्वारा म.प्र. के समस्त विश्वविद्यालय के कुलसचिवों तथा प्रदेश के समस्त महाचिद्यालयों के प्राचार्यों को एक पत्र लिखकर आग्रष्ट किया गया है कि प्रत्येक छात्र/छात्रा इन् के रोजगारोन्मुखी पाइयक्रमों (उनकी रूचि के अनुसार) में पंजीकृत हो।

इम् द्वारा महाविद्यालयों में नवनियुक्त शिक्षकों के लिए P.G.D.H.E. (Post Graduate Diploma in Higher Education) उपलब्ध है। यु.जी.सी. ने इसे दो उन्मुखीकरण पाउयक्रमों के



समनुत्य माना है। कार्यक्रम दूस्तर्ती पद्धित से होगा जिसमें दस दिन का संपर्क कार्यक्रम अनिवार्य होगा। महाविद्यालयों में कार्यत शिक्षकों को पर्यावरण शिक्षा में माण्यत कार्यक्रम (सीईएस) एवं प्रयोगशाला तकनीशियतों के लिए प्रमाण-पत्र कार्यक्रम (सीपीएलटी) में प्रयेश लेन पर आवश्यक किया गया है। और इन पाट्यक्रमों में प्रयेश लेन पर आवश्यक रहुत्क का धुगतान संबंधित महाविद्यालय की जनभागीदारी सिमित द्वारा किया जायेगा। इन्नू से दूरभाष क्रमांक 2476071 पर गुरूत्वार, शुक्रकार एवं जनिवार को साथ 5.30 से 7.30 के मध्य तथा रिवार के मध्य संपर्क किया जा सकता है। महाविद्यालय का अध्ययन केन्द्र क्रमांक 1506 तथा भीपाल क्षेत्रीय केन्द्र का क्रमांक 15 है।

इम्नू द्वारा वर्तमान में लगभग 148 पाठ्यक्रम संचालित हैं जिनमें से अधिकांश कोर्सेस शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इन्द्रीर अध्ययन केंद्र में किये जा सकते हैं।

### (29) छात्रावास संबंधी नियम

- महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन के साथ ही छात्रावास में प्रवेश के आवेदन निर्धारित प्रपत्र में तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना चाहिए । आवेदन पत्र महाविद्यालय के छात्रावास कार्यालय से प्राप्त होगें।
- विद्यार्थी को प्रयेश उसके प्रावीण्य सूची एवं उत्तम चरित्र प्रमाण पत्र के आधार पर महाविद्यालय में प्रयेश मिलने के पश्चात केवल एक सत्र के लिये ही दिया जायेगा। इस हेतु माता या पिता को साथ लाना अनिवार्य होगा। अनुत्तीर्ण एवं पुरक द्वारा उत्तीर्ण छात्रों को प्रयेश नहीं दिया बाएगा।
- छात्रावास के लिए चयन होने पर प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के गणक (केशियर) के पास पूरे वर्ष के लिए निम्न शल्क जमा करना होगा चाहे प्रवेश तिथि कोई भी हो -

#### छात्रावास शुल्क

क्र. मद	B.Sc.	M.Sc.
1. कॉशनमनी	750/-	750/-
2. आवास (शास.)(प्रति सेमेस्टर)	300/-	350/-
3. स्वास्थ्य सुविधा	50/-	50/-
4. रखरखाव निधि	600/-	600/-
<ol> <li>छात्रावास कल्याण निधि</li> </ol>	500/-	500/-
<ol> <li>अग्रिम जल एवं विद्युत व्यय (प्रति सेमेस्टर)</li> </ol>	1500/-	1500/-
महाविद्यालय के कार्यालय में जमा की जाने वाली राशि	3700/-	3750/-

7. छात्रावास दिवस शुल्क	250/-
<ol> <li>दूरदर्शन, दूरभाष, केवल, समाचार पत्र</li> </ol>	450/-
<ol> <li>मेस सेक्युरिटी (सत्र के अंत में वापसी योग्य)</li> </ol>	3350/-
10. होस्टलर्स सुरक्षा	600/-
स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर बैंक में खाता क्रमांक	
53015567550 में जमा की जाने वाली राहि	शे 4650 /-

#### छात्रावास की आचरण संहिता

- छात्रावास में प्रवेश केवल इसी महाविद्यालय के नियमित एवं अधिकृत छात्रों को छात्रावास प्रवेश के लिए गतित समिति द्वारा दिया जाएगा ।
- .. छात्रावास के कमरे में रिश्तेदार, मित्र अथवा अन्य परिचितों को ठहरने या अकारण आने की अनुमति कदापि नहीं दी जायेगी। विशेषकर रात्रि ७ बचे के पश्चात् कमरे में कोई बाहरी ज्यक्ति पाया गया तो संबंधित को तत्काल छात्रावास से निष्कासित कर दिया जाएगा।
- 3. प्रांगण एवं अन्य स्थानों पर पूर्ण अनुवासन बनाए रखना होगा । छात्रों एवं कर्मचारी के साथ शिष्ट एवं सीहाईपूर्ण व्यवहार करना होगा । सिंगा में संतेम तथा अनुवासनहीन विद्यार्थियों को छात्रावास एवं महाविद्यालय से निष्कासीसत कर दिया जाएगा एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी । किसी भी प्रकार की अवांखनीय घटना की सुचना छात्रावास अधीक्षक अथवा वार्डन को तुरंत री जानी चाहिए ।
- 4. समस्त शुल्क व मेस चार्ज निश्चित समयाविध में जमा करवाना अनिवार्य है । इसका पालन न करने पर उन्हें छात्रावास से निष्कासित कर दिवा जाएगा तथा मेस की राशि रण्डसहित वसूली जावेगी । मेस चार्ज समय से न भरने पर प्रतिमाह अतिरिक्त रुपये 50/-दण्ड देना होगी । प्रत्येक माह का मेस चार्ज 100% जमा करने पर ही दण्ड नहीं लगेगा ।
- पालकों को समय-समय पर अधीक्षक/बार्डन से सम्पर्क करना चाहिए। उनसे अनुरोध है कि, अपने पाल्य को प्रतिमाह भेजी जाने बाली राशि से वार्डन को या डीन को अबगत कराएँ, जिससे वे राशि का दुरुपयोगन कर सकें।
- 6. क्लब मैस सभी के लिए अनिवार्य है जिसका शुल्क प्रवेश के समय 4650 रूपये स्टेट बैंक ऑफ इन्टीर की होलकर साईस कॉलेंज शाखा के खाता क्रमांक 53015567550 में जमा कर रसीद प्रवेश आवेदन पत्र के साथ देनी होगी। मैस बिल की राशि प्रतिमाह इसी खाते में जमा करना होगी। छात्रावास के अन्य शुल्क महाविद्यालय में ही जमा कराना होंगे।



- प्राचार्य की अनुमति के बिना ट्यूशन या कोचिंग कक्षाओं में जाना प्रतिबंधित है।
- अधीक्षक, वार्डन की पूर्वानुमित के बिना कोई भी छात्रावास में अनुपस्थित नहीं रहेगा।
- प्रदत्त वस्तुएँ, पुस्तकें, फर्नीचर, विद्युत सामग्री आदि सुरक्षित रखना होंगे । गुमने, टूट-फूट होने पर उसकी कीमत जमा करानी होगी ।
- अस्वस्थ होने की दशा में इसकी सूचना अधीक्षक/वार्डन को तरंत दी जाए।
- रात्रि 9 खजे से प्रात: 6 खजे तक कमरे में रहना होगा।
- धूमपान एवं मादक द्रव्यों (नशीले पदार्थ) का सेवन सर्वथा निषद है।
- 13. छात्रावास छोड़ने के पूर्व, अधीक्षक की अनुमति प्राप्त करें। बकाया ग्रुल्क एवं प्रदत्त वस्तुएँ, अतिवार्य रूप से व ा प स जमा करें तथा No Dues प्राप्त कर लेंवे। मेस सर्विस चार्ज किसी भी अवस्था में वापस नहीं किया जावेगा। इसका उपयोग मेस कर्मजारियों को वेतन देने में किया जाता है।
- प्रतिमाह 75% उपस्थिति प्रत्येक विषय में अनिवार्य है। कम उपस्थिति होने पर उन्हें छात्रावास से निष्कासित कर दिया जावेगा।
- छात्रावास में सत्र के मध्य प्रवेश नहीं दिया जावेगा। प्रवेश के समय परी फीस देना होगी।
- एक वर्ष होस्टल में प्रवेश के बाद अगले वर्ष प्रवेश मिलना आवश्यक नहीं है।
- छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि वे रेडियों एवं दरदर्शन धीमी आवाज में चलाएँ।
- 18. दूरभाष का दुरुपयोग न करें।
- वार्षिक परीक्षा के उपरान्त तीन दिन में छात्रावास खाली करना होगा। अन्यथा 100 (सौ रुपये) प्रति दिवस की दर से शुल्क देय होगा।
- 20. जल व विद्युत का दुरुपयोग न करें अन्यथा दंडित किया जावेगा। उपरोक्त नियमों का उद्धेपन करने पर तुरंत निकासित कर दिया जायेगा। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर अधीक्षक या वार्डिन से तुरंत सम्पर्क कर सकते हैं। वे छात्रों की आवास अवधि निरागद, आदर्श एवं सुख्यमय बनाने में उनकी सहायवता एवं सहयोग करेंगे। छात्र का सहयोग भी अपेक्षित है।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय एवं छात्रावास में रैंगिंग पूर्णत: प्रतिबंधित है । यदि छात्रवासी रैंगिंग की गतिविधि में संलग्न पाया जाता है तो उसे

छात्रावास से तुरन्त निष्कासित कर दिया जायेगा तथा कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

### (30) महाविद्यालयीन शुल्क

- महाविद्यालय में प्रविष्ट छात्र को प्रवेश के समय पूरे सत्र का शिक्षण शुल्क स्टेट बैंक ऑफ इन्दीर की होलकर साईस कॉलेज स्थित शाखा में चालान द्वारा जमा करना होगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी से अपेक्षा है कि वह शुल्क भुगतान की रसींदें सम्भालकर रखें तथा आवश्यकता होने पर प्रस्तुत करें।
- किसी कारण पुन: प्रवेश की स्थिति में दंड के साथ पूरा शुल्क जमा कराना होगा।
- जिन विद्यार्थियों को शुल्क मुक्ति की पात्रता है, वे प्रवेश के समय वांछित प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ जमा करें।

#### शलक विवरण

होलकर विज्ञान महाविद्यालय में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर आगे दी गई तालिका के अनुसार शुल्क लिया जावेगा।

ली जाने वाली शुल्कों में एल.एफ. एवं विविध शुल्क जैसे छात्र कल्याण कीष 30/-स्फ. विकलाग छात्र छात्रा रू. 10/-, छात्र/छात्रा दुर्पटना रू. 10/-, खेलकूद रू. 150/-, छात्र/छात्रा नामांकन रू. 25/-, छात्र/छात्रा बीमा रू. 20/- एवं ए.एफ. रू. 100/- सम्मिलित है। विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क 100/-रू. तथा विलम्ब शुल्क 200/-रू.

शासकीय शुल्क के रूप में प्राप्त शिक्षण शुल्क, विज्ञान शुल्क को जनभागीदारी कोष में जमा किया जाता है। इस राशि में से 100 रू. सम्मिलित निधि के रूप में प्लेह सम्मिलित हार सुरित कार्यक्रम आदि के लिए ए. एफ. सिमिति को आबंदित कर दिये जाते हैं। शेष राशि का उपयोग महाविद्यालय के संचालन में जैसे प्रवेश प्रक्रिया, परिचय पत्र, सायकल स्टैण्ड, आकस्मिक चिक्रत्या, निर्धन कल्याण निधि, कामन रूम, वाचनालय, उपस्थित स्वनार्थ डाक व्यय, पाद्यक्रम वितरण, छात्र गतिविधि, वार्षिक पत्रिका, खेलकृद, महिला प्रसाधन कक्ष (Ladies Room) सुविधा तथा परिसर विकास हेतु किया जाता है। इन मदो में राशि का आवंदर प्राप्यापकों की एक समिति करती है। शुल्क में 100 रु. जन भागीदारी समिति विकास राशि समितित वि

#### शुल्क भुगतान हेतु मार्गदर्शन

 सभी प्रकार के शुल्क स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर की महाविद्यालय परिसर में स्थित शाखा में चालान द्वारा प्राप्त किये जाते हैं। नगद भुगतान स्वीकृत नहीं किये जाते।

#### शल्क मक्ति

शुल्क मुक्ति का अर्थ केवल शिक्षण शुल्क से मुक्ति है। लड़कों का



शिक्षण शुल्क 120 रु. प्रतिवर्ष तथा लड़कियों का मात्र 4 रु. प्रतिवर्ष लगता है।

निम्नलिखित संवर्ग के छात्र/छात्राओं को शुल्क मुक्ति अथवा रियायत की पात्रता है-

#### 1. पूर्ण शिक्षण शुल्क मुक्ति के पात्र-

- सीमित संख्या में निर्धन एवं योग्य विद्यार्थियों के लिए अपनी मेधा, अध्यवसाय एवं विशुद्ध चरित्र का प्रमाण प्रस्तुत करने पर विर्धन कल्याण विधि में।
- अ.जा./अ.ज.जा. / अ.पि.वर्ग के छात्र शिक्षण शुल्क से मुक्त रहेंगे। इस हेतु उन्हें रेवेन्यू अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी के समकक्ष अथवा उच्च पदाधिकारी) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- भारतीय सेना के कर्मचारियों की संतान निम्नानुसार शिक्षण युल्क से मुक्त रहेंगे-
  - (अ) बी.एस-सी. में अध्ययनरत वे छात्र जो जे.सी.ओ. तथा भारतीय सेना की तीनों अंगों में से किसी भी सेवारत कर्मचारी की संतात हो।
  - (अ) म.प्र. में निवासी ऐसे सेना के कर्मचारी जो देश के लिए प्राणोत्सर्ग कर चुके हो या स्थावी रूप से अपंग हो चुके हो, उनकी सतानों को शुल्क मुक्ति की सुविधा तब प्राप्त होगी, जब वे हावरसेकेणडरी परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करके महाविद्यालय में प्रवेश करते हैं। इस होयु इंजीनिवरिंग कोर के द्वारा अपने पिता की सेवा तथा श्रेणी का प्रमाणित रेकार्ड जिलाध्यक्ष को देकर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. शासकीय सेवारत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणों के कर्मचारियों की संतानों को वी.एस-सी. कक्षा में अध्ययन हेतु महाविद्यालय के आवेदन पत्र के साथ छणे हुए प्रमाण-पत्र की सक्षम अधिकारी से अभिप्रमाणित करवाकर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। शुल्क जमा करते समय मुक्ति हेतु संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति लाना आवश्यक होगा।

महाविद्यालय के ऐसे गरीब विद्यार्थी जिनके परिवार की प्रतिवर्ष आय रु. 1,00,000/- से अधिक न हो एवं जिनके पिता दिवंगत हो उन्हें पूर्ण शुल्क मुक्ति प्रदान की जायेगी।

#### 2. अर्द्ध शिक्षण शुल्क मुक्ति के पात्र-

- 1. निर्धन एवं योग्य छात्र/छात्रा।
- उच्च तकनीकी शुल्क पुक्ति- उच्च तकनीकी विषयों में प्रतिभाशाली परन्तु आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए शुल्क मुक्ति की सुविधा निम्नानुसार है:-

प्रत्येक संक्शन में <u>0.3</u> अर्द्धगुल्क मुक्ति उपलब्ध हैं। यह सुविधा 1,00,000 रुपये वार्षिक से कम आव वाले परिवार के छात्र/छात्राओं को ही उपलब्ध होगी। BPL काईधारी परिवार के छात्र/छात्राओं को 60 प्रतिशत अंक अर्जित करने पर अर्द्धशुल्क मुक्ति की पात्रता होगी। एतदर्थ संख्या का बंधन नहीं होगा।

कुल अर्थशुल्क मुक्ति प्राप्त छात्रों की संख्या सेक्शनों की संख्या के आधार पर (प्रति सेक्शन 3 अर्द्धशुल्क मुक्ति) निर्भर करेगी व अन्तर परिवर्तनीय होगी।

नोट: - शिक्षण शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष से प्राप्त होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।

कॉशन मनी महाविद्यालय के विद्यार्थियों को निम्नानुसार कॉशनमनी जमा करनी होगी ।

εń.	समृह	शुल्क
1.	स्नातक स्तर	500
2,	स्नातकोत्तर स्तर	1000
3.	एम.फिल.	1500
4.	पी.एच.डी.	3000

नोट : समस्त विद्यार्थियों से प्रवेश के समय 100/-रू. पुस्तकालय शुल्क लिया जायेगा ।



गणित समूह : प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में उपलब्ध विषय समूह

### गणित समूह : तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में उपलब्ध विषय समूह

莇.	समृह	सेक्शन	शुल्क
1.	भौतिकी, गणित, कम्प्यूटर	M18M2	6500
2.	भौतिकी, गणित, कम्प्यूटर (स्ववित्त)	M3,M4,M5	9500
3.	कम्प्यूटर , गणित, इलेक्ट्रॉनिक्स(स्ववित्त)	M6	9500
4.	भौतिकी, गणित, इलेक्ट्रानिक्स	M7	6500
5.	कम्प्यूटर, गणित, सांव्यिकी	M8	9500
6.	सांख्यिक, गणित, भौतिकी	M9	3000
7.	भौतिकी, गणित, रसायन	M10	3000
8.	कम्प्यूटर, गणित, भू-गर्भ शास्त्र	M11	8000
_			

莇.	समृह	सेक्शन	शुल्क
1.	भौतिकी, गणित, कम्प्यूटर	M18M2	5500
2.	भौतिकी, गणित, कम्प्यूटर (स्ववित्त)	M3, M4, M5	9500
3.	कम्प्यूटर , गणित, इलेक्ट्रॉनिक्स(स्ववित्त	M6	9500
4.	भौतिकी, गणित, इलेक्ट्रानिक्स	M7	6500
5,	कम्प्यूटर, गणित, सांख्यिकी	M 8	9500
6.	सांख्यिक, गणित, भौतिकी	M 11	3000
7.	भौतिकी, गणित, रसायन	M9	3000
8.	कम्प्यूटर, गणित, भू-गर्भ शास्त्र	M 10	8000

### जैविकी समूह : प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में उपलब्ध विषय समूह

जैविकी समूह : तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में उपलब्ध विषय समूह

क्रं.	समूह	संक्शन	शुल्क
1	कम्प्यूटर, रसायन, बायोटेक्नालॉनी	B1, B-2	15000
2.	रसायन, प्राणिकी, बायोटेक्नालॉंजी	B-3 & B-4	11000
3.	रसायन, वनस्पति, बायोटेक्नालाँजी	B-5	11000
4.	कम्प्यूटर, प्राणिकी, बायोइन्फरमेटिक्स	B-6	15000
s.	रसायन, प्राणिकी, जीवरसायन	B-7	9500
6.	रसायन, प्राणिकी, माईक्रोबायलॉजी	B-8	9500
7.	रसायन, वनस्पति, फार्मा. रसायन	B-9	9.500
8.	रसायन, प्राणीशास्त्र, फार्मा. रसायन	B-9	9500
9.	भूगर्भ, प्राणिकी, रसायन	B-10a	3000
10.	रसावन, फिशरीज, प्राणिकी	B-10b	3000
11.	रसायन, वनस्पति, प्राणिकी	B-11	3000
12.	हार्टिकल्चर, वनस्पति, सीड टेक्नालॉजी	B-12	7500

莇.	समृह	सेक्शन	शुल्क
1.	कम्प्यूटर, रसायन, बायोटेक्नालॉजी	B1, B-2	15000
2.	रसायन, प्राणिकी, बायोटेक्नालॉजी	B-3 & B-4	11000
3.	रसायन, वनस्पति, बाबोटेक्नालॉंजी	B-5	11000
4.	काय्यूटर, प्राणिकी, बायोइन्फामेटिक्स	B-6	15000
5.	रसायन, प्राणिकी, जीवरसायन	8-7	9500
6.	रसायन, प्राणिकी, माईक्रोबायलॉजी	B-8	9500
7.	रसायन, बनस्पति, फार्मा, रसायन	B-9	9500
8.	रसायन, प्राणीशास्त्र, फार्मा. रसायन	B-9	9500
9.	भूगर्भ, प्राणिकी, रसायन	B-10a	2500
10.	रसायन, फिशरीज, प्राणिकी	B-10b	2500
11.	रसायन, वनस्पति, प्राणिकी	B-11	2500
12.	प्राणी शास्त्र, वनस्पति, सीड टेक्नालॉर्जी	B-12	5000

#### enough county tong and county water

ar out had to				

1 1414 Plat We	10.161	-	phys., mo., beliance	K-81	
a little decreptions	morte:	inel	box silve extraorie	31400	396
, Jeep, 4% yielderelle.	49	land	real with expectal.	937	2000
L. State Programme	44	541	any and experien	84	
( ) singly, electricists	91	т=2	949, MID - Brown	61	
a (office) of the server			SEPA, MORE, ASSESSMENT	44-	

and .	de		(8040)	
de .	- Her		Miles PE	
of sale	340		140-6153	
the distance of			the same of	
STREET, C	74		HIST	
infest			redroption	
MARAGON			or/fee from their	Z-AMP

#### (11) wwwfiel



	केन्द्रीय शासन की राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ	अवधि	दर	पात्रता
	(अ) स्नातक प्रथम दो सेमेस्टर तृतीय सेमेस्टर से पच्झ सेमेस्टर (ब) स्नातकोत्तर प्रायमरी एवं हावर सेकेण्डरी शिक्षकों के बच्चों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति स्नातक	1 वर्ष 2 वर्ष	ह. 60/- प्रतिमाह ह. 90/- प्रतिमाह ह. 120/- प्रतिमाह ह. 60/- प्रतिमाह	अर्हकारी परीक्षा में 60% प्राप्तांक या उससे अधिक होना तथा माता-पिता की आय अधिकतम रु. 60,000/ - वार्षिक तदैव राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों की शर्त के अनुसार
03	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृति (अ) स्नातक  (ब) स्नातकोत्तर		क. 65/- प्रतिमाह क. 85/- प्रतिमाह	अहंकारी परीक्षा में प्राप्तांकों का प्रतिशत 60 या उससे अधिक होना तथा माता-पिता की आय अधिकतम रू. 60,000/- वार्षिक आय मूल पर मानी जाएगी। योग्यता (आय का प्रतिशंध नहीं)

### राज्य शासन की एकीकृत छात्रवृत्तियाँ -(नियम एवं विस्तृत जानकारी हेतु छात्रवृत्ति, अधिकारी, उच्च शिक्षा, भोपाल से सम्पर्क करें)

04	(अ) शोध	2 वर्ष	रु. 600/- प्रतिमाह	शोध हेतु पंजीयन होना आवश्यक है। इस छाप्रवृत्ति हेतु वे ही छात्र आवेदन करें जिन्हें स्नातकोत्तर परीक्षा में 55% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों।
	(व ) स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति	2 वर्ष	रु. 250/- प्रतिमाह	उपाधि परीक्षा में कम से कम 55% अंक
	(स) स्नातकोत्तर शिष्यवृत्ति	2 वर्ष	र. 250/- प्रतिमाह	आय रुपये 25,000 /- वार्षिक (मेरिट कम मीन्स) से अधिक न हो उपाधि परीक्षा में कम से कम 45% अंक
	(द) स्नातक छात्रवृत्तियाँ	3 वर्ष	रु. 150/- प्रतिमाह	केवल योग्यता के आधार पर। इस छात्रवृत्ति हेतु वे ही छात्र आवेदन करें जिन्होंने हायर सेकेण्डरी परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों तथा जिनके माता-पिता की आय रु. 25,000/- वार्षिक से अधिक न हो।
05	महाविद्यालय के लिए खेलकृद छात्रवृत्तियाँ	1 वर्ष	रु. 150/- प्रतिमाह	योग्यता के आधार पर
	रा. छा. सेना सीनियर छात्रवृत्तियाँ	1 वर्ष	रु. 150/- प्रतिमाह	योग्यता के आधार पर
07	मृत सैनिक के बच्चों की विशेष छात्रवृत्तियाँ	1 वर्ष	₹, 650-1000/-	मृत सैनिक मध्यप्रदेश का निवासी होना आवश्यक है।
08	निर्धन तथा योग्यता के आधार पर विशेष। छात्रवृत्ति एक मुश्त अनुदान	Distriction.		मृत सैनिक मध्यप्रदेश का निवासी होना आवश्यक है। पाद्यक्रमानुसार निर्धनता एवं योग्यता के आधार पर अन्य छात्रवृत्ति की तरह।
09	डाकुओं द्वारा मारे गये व्यक्तियों की संतान	1 वर्ष		साधन के आधार पर पीड़ित लोगों के बच्चों को विशेष
	स्नातक	The state	₹. 500-700/-	छात्रवृत्ति कलेक्टर के प्रमाणिकरण पर।
	स्नातकोत्तर		₹. 750-1000/-	3 A C C C C C C C C C C C C C C C C C C
10	विकलांग छात्रवृत्ति अवर स्नातक		रु. 125/- प्रतिमाह	सामान्य विकलांग छात्र
	1000		रु. 200/- प्रतिमाह	नेत्रहीन विकलांग छात्र
			रु. 135/- प्रतिमाह	सामान्य विकलांग छात्रा
			रु. 315/- प्रतिमाह	नेत्रहीन विकलांग छात्रा
			रु. 170/- प्रतिमाह	विकलांग छात्र
			रु. 180/- प्रतिमाह	विकलांग छात्रा



उक्त छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन आदि कार्यालय संयुक्त संचालक - पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग, जिलाधीश कार्यालय, इन्दौर से सम्पर्क करप्राप्त किये जासकते हैं। राशियों तथा पात्रता की शतों में परिवर्तन होता रहता है।

- नोट : (1) अ.जा./अ.ज.जा. पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्रा अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ ही आवेदन करें। इन वर्ग के विद्यार्थी प्रवेश के तत्काल बाद छात्रवृत्ति हेतु छात्रवृत्ति शाखा से जानकारी प्राप्त कर निश्चित तिथि तक आवश्यक रूप से आवेदन करें। स्थाई जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर ही तद्विश्यक छात्रवृत्ति आवेदन स्वींकार किये जा सकेंगे। विद्यार्थी एक सत्र में एक ही प्रकार की छात्रवृत्ति ले सकेगा।
  - (2) जिन विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है वे उसका नवीनीकरण 30 जुलाई तक करावें।
  - (3) अन्य सभी छात्रवृत्तियों तथा राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति के लिए दिनांक 20 से 30 अगस्त के बीच आवेदन पत्र प्राप्त कर आवेदन करें। विकलांग छात्र-छात्राओं के लिये देवी अहिल्या वि.वि. इन्दीर द्वारा पुस्तकें, ट्राइसिकल, विशेष प्रकार के जूते आदि के रूप में सहायता भी प्रदान की जाती है। उक्त सुविधा का लाभ प्राप्ति हेतु इच्छुक जानकारी महाविद्यालय की छात्रवृत्ति शाखा से प्राप्त कर सकते हैं।

शोध छात्रवृत्ति : इस महाविद्यालय से एम.एस.-सी. करने के उपरान्त इसी महाविद्यालय के शिक्षक के निर्देशन में पंजीयत होकर दे.अ.वि.वि. इन्दौर से **पी-एस.डी.** करने वाले शोधार्थी हेतु 8000/-रू. प्रतिमाह की शोध छात्रवृत्ति अधिकतम २ वर्ष के लिए उपलब्ध है ।

#### राज्य शासनकी छात्र/छात्राओं हेतु उच्च शिक्षा हेतु विशेष योजनाएँ -

- गाँव की बेटी 3 वर्ष, 500/- प्रतिसाह (छात्राओं हेतु) छात्रा गांव की निवासी होना चाहिए तथा गांव में रहकर गांव की पाठशाला से 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उनींण होनी चाहिए। छात्रा ने जिस सत्र में 12वीं की परीक्षा उनींण की है उसके तत्काल बाद के सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेना होगा। इस छात्रवृत्ति हेतु स्नातक प्रथम वर्ष की छात्राएँ ही आवंदन वहर छात्रवृत्ति हेतु स्नातक प्रथम वर्ष की छात्राएँ ही
- प्रतिमा किरण 3 चर्च, 300/ प्रतिमाह (छात्राओं हेंतु) छात्रा को नगरीय क्षेत्र में स्थित निद्यालय से हायर सेकण्डरी प्रथम भ्रेणी से उलीण होनी चाहिए। छात्रा को गरीवी रखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका द्वारा प्रदान प्रमाण पत्र (BPL Card) अनिवार्य केप से प्रस्तुत करना होगा।

#### 3. विक्रमादित्य योजना -

निर्भन सामान्य वर्ग के ऐसे छात्र/छात्राओं को शिक्षण शुल्क से मुक्ति शासन के नियमानुसार की पात्रता होगी जिन्होंने 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी के ति तथा महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में प्रवेश निया हो।

#### पी.एच.डी. शोधार्थियों को सहायता -

अनुस्चित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को नियमानुसार छात्रवृत्ति दी जाती है।

#### 5. छात्राओं हेतु आवागमन सुविधा -

महाविद्यालय से 05 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर निवास करने वाली छात्राओं की अधिकतम दो सी शैक्षणिक दिवस के लिये आवागमन हेतु रूपये 5/- प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाता है।

#### 6. विकलांग शोध छात्रवृत्ति -

नियमानुसार प्रोत्साहन पुरस्कार गाशि प्रदान की जाती है ।

7. विवेकानंद कैरियर एवं रोजगार मार्गदर्शन प्रकोष्ठ -

इस प्रकोष्ठ के द्वारा विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी, युवा अद्यमियों के आवश्क मार्गदर्शक तथा रोजगार हेतु प्रशिक्षण आदि की जानकारी प्रदान की जाती है।

#### . बक बैंक योजना -

महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को बुक योजनान्तर्गत पाठ्य पुस्तक एवं स्टेशनरी नि:शुल्क प्रदाय की जाती है।

#### 9. सिटीजन चार्टर एवं सूचना का अधिकार -

शासन के निर्देशानुसार, प्रशासन में पारतर्शिता व्यक्त करने के उद्देश्य से महाविद्यालय में लगे बड़े-बड़े बोर्डों पर जानकारों अंकित कर दी गई है।

#### विशेष छात्रवृत्ति एवं पुरस्कार -

- सिद्धेश्वरत्नाल छात्रवृत्ति (देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर द्वारा देव) - बी.एस.-सी. के तीन वर्षी में छात्रों को मेरिट कम मीन्स के आधार पर प्रदान की जाती है। आवेदन पत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- 2. भारी छात्रवृत्ति महाविद्यालय के पूर्व छात्र एवं इंग्लैंड में बसे रव. आशाराम भारी द्वारा प्रदत्त राशि के ब्याज से जरूरत मंद एवं योग्य स्नातकोत्तर कक्षा के विद्यार्थियों के यह छात्रवृत्ति दी जाती है (स्नातकोत्तर कक्षा के विद्यार्थी उपलब्ध न होने पर स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को भी यह छात्रवृत्ति दी जा सकती है।
- 3. देशपांडे पुरस्कार महाविद्यालय के गीरव, रसायनशास्त्र के प्राप्यापक एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्वाति प्राप्त वैज्ञानिक डॉ. शंकर श्रीधर देशपांडे इसर प्रदत्त 10,000/- रु. के राष्ट्रीय बचत पत्रों से प्राप्त ब्याज की राशि को समान रूप से निम्न दो पुरस्कारों में वितरित किया जायेगा-
- महाविद्यालय के एम.एस-सी. रसायन शास्त्र विषय के पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध में सैद्धांतिक अंकों के योग में सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थी को।
- महाविद्यालय की बी. एस-सी. के तीन वर्षों में रसायन शास्त्र विषय के सैद्धांतिक अंकों के योग में सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थी को।
- स्व. प्रो. शंकर केशव अभ्यंकर पुरस्कार मध्यप्रदेश के गणित के विख्यात प्राध्यापक की स्मृति में प्रत्येक वर्ष इस महाविद्यालय की केवल



बी.एस-सी. अंतिम वर्ष की परीक्षा में गणित में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को यह पुरस्कार दिया जाता है।

- 5. स्व. श्रीमती सुदेश छाबड़ा स्मृति पुरस्कार यह पुरस्कार स्सावन शास की प्राध्यापिका स्व. श्रीमती सुदेश छावड़ा की स्मृति में दिया जाता है। इसके अंतर्गत कमा निधि प्राम क्याव से बी.एस.-सी. अंतिम वर्ष तथा एम.एस.-सी. उत्तराई रसावन शास्त्र में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रस्कृत किया जाता है।
- 6. श्री बटेश्वर दयाल सिंचल पुरस्कार- यह पुरस्कार महाविद्यालय के पूर्व छात्र पश्चशी डॉ. एस.डी. सिंचल द्वारा अपने पिता तथा इसी महाविद्यालय के पूर्व छात्र स्व. श्री बटेश्वर दयाल सिंघल की स्मृति में स्थापित किया गया है। इसके अंतर्गात जमा करायी गयी तिथि से प्राप्त क्यांत्र प्राप्ति निम्म में समान रूप से वितरित की आयेगी-
- जिस विद्यार्थी ने बी.एस-सी. अंतिम वर्ष की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर इसी महाविद्यालय के एम.एस-सी. पुर्वार्द्ध गणित में प्रवेश लिया हो।
- (2) एम.एस-सी. पूर्वार्द्ध गणित तथा भौतिकी प्रत्येक में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर इसी महाविद्यालय की उत्तरार्द्ध कक्षाओं में प्रवेश लिया हो।
- (3) स्नातक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ आल राउण्डर विद्यार्थी को जिसने 60% से अधिक अंक अर्जित किये हों साथ ही खेलकूद, साहित्य या सांस्कृतिक विधा में निपुणता अर्जित की हो।
- स्व. प्रो. पी. सी. गंगराई स्मृति पुरस्कार- इसके अंतर्गत गंगराई परिवार द्वारा महाविद्यालय के गणित के पूर्व प्राध्यापक स्व. श्री पी.सी. गंगराई की स्मृति में जमा करायी गयी निधि से ख्याज राशि का पुरस्कार एम.एस-सी. उत्तराई गणित में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को विया जाता है।
- 8. श्रीमती सुशील दुबे पुरस्कार- होत्तकर विज्ञान महाविद्यालय की बी. एस-सी. परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले उस विद्यार्थी को दिवा जाएगा तो एम. एस-सी. पूर्वार्द्ध रसायन में प्रश्चेत्र प्राप्त करेगा। यह पुरस्कार इस महाविद्यालय के पूर्व छात्र प्राध्यापक तथा राजस्थान शासन में प्राचार्थ के पद पर रह चुके डॉ. एम. एस. दुबे इति एवत चप्ये 2000-00 के ब्यात बत्री गांटी में प्रयत्त विज्ञा जावेगा।
- 9. प्रो. ओ. पी. दुबे पुरस्कार इस महाविद्यालय में वनस्पति शास्त्र के प्राच्यापक स्व. प्रो. ओ. पी. दुबे की स्मृति में उनके परिवार की ओर से बाम करायी गयी राशि से प्राप्त ब्याज से होलकर विज्ञान महाविद्यालय से एम. एस. सी. पूर्वार्ट्ड वनस्पति की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को प्रदान किया जाता है।
- 10. डॉ. बी. आर. जैन पुरस्कार- पूर्व प्राचार्य डॉ. आर.एन. जैन ने अपने पिता स्व. बी.आर. जैन की स्पृति में रुपये 10,000/- के ज्याज की राशि से निम्न दो पुरस्कार प्रारंभ किये हैं:-
  - एम.एस-सी. उत्तराद्धं भौतिकी, रसायन, गणित समूह में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को।
  - (2) बी.एस-सी. अंतिम वर्ष गणित, भौतिकी, रसायन समूह में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को।

11. स्व. प्रो. गोले स्मृति पुरस्कार- यह पुरस्कार एम. एस-सी. गणित में सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थी को दिया जाता है। ग्रो. विश्ववनाथ गोणाल गोलं इसी महाविद्यालय के विद्यार्थी एवं गणित के पूर्व ग्राध्यापक थे। पुरस्कार की राशि उनके परिवार द्वारा जमा करायी गयी निधि के ब्याज से देव होगी।

#### सारवान स्मृति परस्कार-

- (अ) स्व. श्रीमती सीताबाई (महाविद्यालय के सेवानिवृत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) पित मंगतुलाल सारवान की स्मृति में उनके पुत्र श्री प्रकाशनद्र सारवान प्रस्त रु. 5001 / - पशि केव्याब से एक शिक्षा प्रेसाहन बी. एस-सी. के प्रथम वो सेमें. में (अ.जा./अ.ज.जा.) मर्वोच्च अकंप्राम विद्यार्थी के विया जागगा।
- (व) स्व. मंगतुलाल सारवान (महाविद्यालय के सेवानिवृत्त चतुर्थं श्रेणी कर्मचारी) की स्मृति में उनके पुत्र श्री प्रकाशचन्द्र सारवान द्वारा प्रदत्त 5001/- रागि से प्राप्त क्वाज से एक विद्यार्थी प्रतिभा पुरस्कार अ. जा./अ. ज. के उस विद्यार्थी को प्रदान किया जाएगा, जिसने बी. एस-सी. के सभी 6 सेमे. की परीक्षा के योग में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हो।
- स्व. प्रो. डेनियल राबर्ट स्मृति पुरस्कार- रसायन शास्त्र के प्राण्यापक स्व. डेनियल राबर्ट की स्मृति में उनकी माताजी श्रीमती लीलावती राबर्ट हारा प्रदत्त रु. 20,000/- की राशि से प्राप्त क्याज निम्नांकित पुरस्कारों के रूप में विवरित किया जाएगा।
  - (अ) ब्याज की एक चौथाई राशि बी.एस-सी. परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर प्राचीण्य सुची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को।
  - शोष बची राशि में से आधा एम.एस-सी. रसायन शास्त्र की सभी शाखाओं में मर्वाधिक अंक पाप करने वाले विशार्थी को।
  - (स) शेष राशि सभी विषयों की एम.एस-सी. परीक्षा की संयुक्त प्रावीण्य सची में प्रथम स्थान विद्यार्थी को।
- 14. श्री श्रीधर गोविन्द घाटे पुरस्कार- महाविद्यालय के मेथावी छात्र श्री श्रीक्ष गोविंद घाटे के नाम पर पुरस्कार प्रारंभ करने हेतु उनके पुत्र श्री श्याम घाटे ने क. 5000/- रूपचे की राशि प्रदान की है। इस पश्चि के ब्याज से बी.एस-सी. तीनों वर्षों की परीक्षा में स्सावन शास्त्र विषय में स्वाचित वास्त्र विषय में स्वाचित कार्याण।
- 15. संत लीला पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट, इन्दीर का पुरस्कार ट्रस्ट की और से रूपे 5000/- के क्याब से आधी-आधी गारिश से क्रमशः बी.एस-सी. बैदिकी तथा गणित समूहों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया वायेगा।
- 16. डॉ. एस.एस. देशपांडे स्मृति समिति पुरस्कार- समिति द्वारा जमा करावे रुपये 6,150/- के ब्याज से आधी-आधी राशि से क्रमशः बी.एस-सी. जैविकी तथा गणित समृशु में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जायेगा।
- डॉ. एस. एस. देशपांडे स्मृति समिति पुरस्कार- (समिति द्वारा जमा रुपये 6,150/- की राशि से प्राप्त क्याज देय)-



- (अ) बी.एस-सी. में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले तथा आगे पढ़ाई जारी रखने वाले विद्यार्थी को पुरस्कार दिया जायेगा।
- (व) एम.एस-सी. (रसायन शास्त्र) में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को पुरस्कार दिया जायेगा।
- 18. स्व. डॉ. के. आर. निकंम स्मृति पुरस्कार- स्व. इॉ.के.आर. निकंम इस महाविद्यालय में रसायन शास के प्राध्यापक थे। उनकी पत्नी श्रीमती ज्योति निकंम द्वारा प्रदत्त राशि रु. 5000/- से प्राप्त व्याज से बी.एस-सी. प्रथम वर्ष (२ सेमे.) की परीक्षा में जीव विज्ञान तथा गणित समृह में संयुक्त रूप से सर्वोंच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को पुरस्कृत किया जायेगा।
- 19. स्व. श्री आर.एन. चतुर्वेदी स्मृति पुरस्कार- महाविद्यालय के भीतिकी विभाग के प्राप्ताफर प्रो. के. एत. चतुर्वेदी द्वारा अपने पिता थी एकुनन्दन चतुर्वेदी (सेवानिवृत्त प्राचार्य) की स्मृति में यह पुरस्कार प्राप्त किया गया है। इसके अंतर्गत जमा करायी गई निधि रुप्ते रुप्तरकार प्राप्त किया गया है। इसके अंतर्गत जमा करायी गई निधि रुप्ते रुप्ता क्यांज इस महाविद्यालय के. थी. एस-सी. उत्तीर्ण एवं कुल प्राप्ताकों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले उस विद्यार्थी को दिया जावेगा जिसने इसी महाविद्यालय में एम.एस-सी. भीतिकी की प्रथम सेमेस्टर में प्रयोग लिया है।
- 20. स्व. मोतीलाल जैन स्मृति पुरस्कार- महाविद्यालय के भौतिकी विभाग के सेवानिवृत्त प्राध्यापक ग्रो. के. के. जैन द्वारा अपने स्व. पिता औ मोतीलाल जैन की स्मृति में यह पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत जमा करायी गयी निधि ह. 10,006/- से प्राप्त ब्याज से दो पुरस्कार निम्नानुसार प्रतान किये जायेंगे।
  - (अ) बी.एस-सी. (5 एवं 6 सेमे.) के इलेक्ट्रानिक्स, भौतिकी, गणित समूह के उस विद्यार्थी को जिसमें बी.एस-सी. III से IV सेमे. में इस समूह में सर्वाधिक अंक प्राप्त किये हों।
  - (ब) वार्षिकोत्सव के अवसर पर गायन-विधा में प्रथम घोषित विद्यार्थी को।
- 21. स्व सौ. सुमन मार्तण्ड विवारकर स्मृति पुरस्कार न यह पुरस्कार श्री सुनील विवरेकर द्वारा अपनी माताओं की स्मृति में प्रारम्भ किया गया है। इसके अंतर्गत अमा करावी गयी निधि रु. 5000/- से प्राप्त ब्याज से जैविकी समृह में वनस्पति शास विषय के साथ बी. एस-सी. जी 6 सेमे. की परीका में संयुक्त रूप से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को पुरस्कृत किया जायेगा।
- 22. स्व. डॉ. पी. के. पटवर्धन स्मृति पुरस्कार महाविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी स्व. डॉ. पी. के. पटवर्धन की स्मृति में उनके पुत्र डॉ. अवव पटवर्धन हारा दी गयी रु. 20,000/- की राशि से प्राप्त व्यवस्त प्रस्ति प्राप्ती प्रवार्द और उत्तरार्थ के एक-एक छात्र को उत्तरार्थ के एक-पान छात्र को उत्तरार्थ में असामान्य रुचि और निपुणता के लियों दिवा वायेगा। छात्रों का चयन एक समिति द्वारा किया वायेगा। जिसके अध्यक्ष महाविद्यालय के प्राप्तार्थ होंगे और विभागाध्यक्ष भीतिकी उस

समिति के सचिव-सदस्य होंगे।

- 23. प्रो. आर.जी. निधोजकर पुरस्कार- अपने दिवंगत पिता श्री गोविंदराव गणेश निधोजकर की स्मृति में महाविद्यालय के भीतिकी के पूर्व प्राध्यापक प्रो. अस. वीतिकी के पूर्व प्राध्यापक प्रो. अस. वीतिकी के पूर्व प्राध्यापक प्रो. अस. वी. पिता के प्राप्त के प्राप्त में स्मृत में सर्वाधिक के प्राप्त कर, उत्तरार्ध भीतिकी में सर्वाधिक के प्राप्त कर, उत्तरार्ध भीतिकी में प्रवेश लेने वाले विद्याणी को पुरस्कृत किया जायेगा।
- 24. प्रो. एस.डी. चौबे स्मृति पुरस्कार उक्त पुरस्कार भीतिकी अध्यापन के स्वर्ण जवती समारोह पर सहभागियों (भीतिकी विभाग) से एकत्रित राशि रु. 31100/-, जो कि महाविद्यालय में क्या की गई है, के ब्याज से एम. एस-सी. भीतिकी के प्रथम सेमेस्टर एवं दितीय सेमेस्टर के अंकों का योगकर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की देव होगा।
- 25. डॉ. के.के. चतुर्वेदी स्मृति पुरस्कार उक्त पुरस्कार डॉ. के.के. चतुर्वेदी, प्राध्यापक रसावन शास की स्मृति में उनकी पत्नी डॉ. श्रीमती मंजुपा बतुर्वेदी द्वारा होलकर विज्ञान महाविद्यालय के उस विद्यार्थी को प्रदान किया जाता है जिससे एम.एस.सी पूर्वोर्द्ध रसावन शास्त्र में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर इसी महाविद्यालय में एम.एस.सी. उत्तरार्द्ध में प्रवेश लिया है। (1,00,000) रू. कीराशि का व्याज)
- 26. पं. श्रीकृष्णजी व्यास स्मृति पुरस्कार- प्रो. (डॉ.) संबच व्यास द्वारा यह पुरस्कार अपने दादाजी पं. श्रीकृष्णजी व्यास की स्मृति में उस विद्यार्थी को प्रदान किया जाता है जिसने इस महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव में संगीत की एकल गायन विधा में प्रधान स्थान प्राप्त किया हो।

#### 27. डॉ. डी.ए. मुले पुरस्कार -

- बी.एस.सी के सभी सेमेस्टरों के प्राप्तांकों के योग में जिस विद्यार्थी को भीतिक शास्त्र विषय में अधिकतम अंक प्राप्त होते हैं उसे 25000/-क. के ब्याज से प्राप्त राशि का 60% एवं भीतिक विषय में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को उक्त राशि की 40% राशि पुरस्कार के रूप में देव होगा।
- एम.एस.सी. गणित में प्रथम वर्ष (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 25000/-रू. के ब्याज की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जावेगी।

### 28. स्व. समीर चिटनीस स्मृति पुरस्कार -

अपने ब्राह्मलीन अभिन्म मित्र श्री समीर बिटनिस की स्मृति में महाविद्यालय के जनभागीदारी समिति के सदस्य डॉ. शारिक मोहम्मद शेख द्वारा प्रदत्त 20,000 रू. की राशि से प्राप्त व्याज से बी. एस.सी. अंतिम वर्ष (बॉयोलॉजी) में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को पुरस्कृत किया जावेगा।

### (32) वाहन स्टैंड संबंधी सूचना एवं नियम -

शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय परिसर में वाहन स्टैण्ड की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य वाहन मालिकों को सुरक्षित स्थान उपलब्ध



कराना है। यह व्यवस्था महाविद्यालयीन प्राध्यापकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के लिए तो है ही, बाहर से आने वाले व्यक्तियों के लिये भी है। बाहन का पार्किंग निर्धारित स्थान पर ही करें तथा महाविद्यालय प्रशासन को सहबोग पदान करें।

- विद्यार्थियों शिक्षकों तथा आगन्तुकों को अपने वाहन स्टैण्ड पर रखना अनिवार्थ है। निर्धारित स्थान के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर रखने पर जुर्माना देव होगा।
- स्टैण्ड परिसर में वे ही प्रवेश पा सकेंगे जिनका वाहन वहाँ रखा है।
- स्टैण्ड परिसर में फालत् न बैठें, अनुशासन बनाये रखें।
- बाहन स्टैण्ड के सूचना पटल पर लिखें निर्देशों का पालन अवश्य करें।

- स्टैण्ड संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत के लिये सीधे प्राचार्य में सम्पर्क करें।
- महाविद्यालय के विद्यार्थी अपने साथ बाहर के व्यक्ति न लावें अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
- अपना वाहन कक्षा में पढ़ाई के समय तक ही पार्क करें, उसके बाद आवश्यक रूप से उसे लेकर जावें।
- वाहन संबंधी टोकन संभाल कर रखें, टोकन खो जाने पर शुल्क देना होगा तथा नये टोकन के लिये प्राचार्य की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगी।
- अपना पहचान पत्र हमेशा अपने पास रखें। स्टैण्ड व्यवस्थापक द्वारा माँगने पर पहचान पत्र को अवश्य दिखाये तथा आवश्यकता होने पर जमा भी करायें।

#### शासीनिकाय

### जनभागीदारी समिति

नाम	पद	नाम	पद
प्रो. एस.एन. गुप्ता	अध्यक्ष	श्री प्रीतिपालसिंह मौंगा	अध्यक्ष
श्री रमिन्दरसिंह चढ्ढा	सदस्य	डॉ. एस.एल. गर्ग	सचिव
प्रो. श्रीमती शीला रामचन्द्रन	सदस्य	श्री प्रदीप कौशल	सदस्य
डॉ. एन.के. धाकड़	सदस्य	श्री संजय जारोलिया	सदस्य
डॉ. दिनेश वार्ष्णेय	सदस्य	श्री शारिख शेख	सदस्य
डॉ. एस.एल. गर्ग	सदस्य	डॉ. साकेत जती	सदस्य
डॉ. सुषमा कुर्डे	सदस्य	डॉ. अशोक खण्डेलवाल	सदस्य
डॉ. अशोक सिलावट	सदस्य	श्रीमती स्मिती डाबर	सदस्य
डॉ. व्ही.एन. गाडगिल	सदस्य	प्रो. पी.एस. मृत्द्रा	सदस्य

सुचना का अधिकार अधिनियम 2005

लोक सुचना अधिकारी : डॉ. एस.एल. गर्ग (प्राचार्य), सहायक लोक सुचना अधिकारी : डॉ. प्रदीप शर्मा



महाविद्यालय के विद्यार्थियों से आशा की जाती है कि वे पूर्ण शक्ति एवं निष्ठा से अध्ययन-रत रहेंगे तथा ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे उनको, उनके माता-पिता को, महाविद्यालय को, राज्य को एवं राष्ट्र को अपमानित होना पड़े । उनका हर कृत्य ऐसा होना चाहिए जिस पर महाविद्यालय गर्व कर सके ।

राष्ट्रीय पर्वो जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस तथा पाद्य सहगामी गतिविधियों में विद्यार्थी सक्रिय सहभागिता दें, इससे उनके व्यक्तित्व विकास को नई दिशा मिलेगी।





## महाविद्यालयीन समितियों के प्रभारी निम्नानुसार मनोनीत किये गये

प्रवेश समिति	प्रो. प्रदीप शर्मा
ए.एफ, आवंटन समिति	प्रो. आर.एस. माहेश्वरी
एन्टीरेगिंग समिति एवं अनुशासन समिति	प्रो. आर.के. वेद, डा. संजय व्यास,
	प्रो. अनीस सिखीकी, प्रो. संजिदा इकबाल
छात्रावास समिति	प्रो. व्ही.व्ही.एस. मुर्ति, प्रो. एच.एस. डागर
साहित्यिक समिति	प्रो. एस. विवरेकर, प्रो. किसलय पंचोली
महाविद्यालयीन पत्रिका (Spectrum) समिति	प्रो. संध्या खरे
जनरल टाईम टेबल	प्रो. एम.एम.पी. श्रीवास्तव
प्रोक्टोरियल बोर्ड	प्रो. सी.शर्मा, प्रो. लक्ष्मी तन्तुवाय
अपलेखन समिति	प्रो. आर.के. संघवी
परीक्षा एवं पाठ्यक्रम प्रकाशन समिति	प्रो. एस. कुडें
विवरणिका एवं सिटीजन चार्टर प्रकाशन समिति	प्रो. संजीदा इकबाल
शोध पत्रिका/वैज्ञानिक संगोष्ठी/नवीन पाठ्यक्रम	प्रो. अनुपम जैन
जल एवं टंकी सफाई	प्रो. राम प्रजापति
विद्युत प्रभारी	प्रो. एन.पी. राजपूत
फर्नीचर	प्रो. मंगला दवे
शिकायत एवं सुझाव समिति	प्रो. एस.कुर्डे, प्रो. सुधा दुवे
शुल्क मुक्ति, छात्रवृत्ति, निर्धन छात्र सहायता समिति	प्रो. ए.सिलावट
उच्च तकनीकी शुल्क मुक्ति समिति	प्रो. भूषण अग्रवाल
छात्र संघ एवं स्नेह सम्मेलन	प्रो. रूपलेखा व्यास
युवा महोत्सव एवं अर्न्तमहाविद्यालयीन सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति	प्रो. एम. चौरागड़े
महिला/छात्रा सशक्तीकरण समिति	प्रो. मधु तिवारी
शिकायत प्रकोष्ठ अजा. व अजजा.	प्रो. ए. बाधम
(IQAC)	प्रो. ए. पोरस, प्रो. आर. अग्रवाल
महिला प्रसाधन कक्ष व्यवस्था समिति	प्रो. इन्दु तिवारी
स्वामी विवेकानंद मार्गदर्शन/प्लेसमेंट समिति	प्रो. संजय व्यास, प्रो. एस. चीरे
सांस्कृतिक समिति	प्रो. ए. खेर, प्रो. एस. तनवानी
पर्यावरण जागरूकता समिति	प्रो. किशोर पंवार
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रकोष्ठ	प्रो. वी.एन. गाडगिल